

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 मार्च 2022-चैत्र 4, शक 1944

## भाग 3 ( 1 )

### विज्ञापन

### अन्य सूचनाएं

#### नाम परिवर्तन

मैं, देवेश कुमार मिश्रा अपना नाम परिवर्तन कर देवेश कुमार जैन करना चाहता हूं भविष्य में मुझे देवेश कुमार जैन के नाम से जाना, पहचाना जाएगा.

पुराना नाम

(देवेश कुमार मिश्रा)

(G-449)

नया नाम

(देवेश कुमार जैन)

#### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं रानी निगम ग्राम पोस्ट खैरा तहसील हुजूर, थाना चोरहटा, जिला रीवा, मध्यप्रदेश की निवासी हूं जो कि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक, बिजली बिल, निवास प्रमाण-पत्र, वोटर आईडी, राशन कार्ड, गैस पासबुक, ऋण पुस्तिका, आयुष्मान कार्ड में मेरा नाम रानी निगम अंकित है. अतः मेरे पति के रिकार्ड सर्विस बुक, पीपीओ में मेरा नाम तेरसी रानी निगम लिख गया है जो कि गलत है. अतः मेरे पति के रिकार्ड सर्विस बुक, पीपीओ में मेरा नाम आज से रानी निगम लिखा, पढ़ा व जाना जाये.

रानी निगम, ग्राम पोस्ट खैरा,

तहसील हुजूर, थाना चोरहटा, जिला रीवा, मध्यप्रदेश.

(G-450)

#### नाम परिवर्तन

मैं, रचित मौर्य पुत्र श्री विजय मौर्य सर्वसाधारण को सूचित करता हूं कि मेरा बचपन का बोलता नाम अंशु मौर्य था जो मेरी बीमा पॉलिसी एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान में मुझे रचित मौर्य के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाता है तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम रचित मौर्य के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ. अंशु मौर्य एवं रचित मौर्य

मेरे ही नाम हैं. अतः मेरी बीमा पॉलिसी में मेरा नाम अंशु के स्थान पर रचित मौर्य लिखा एवं पढ़ा जाए. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

पुराना नाम

(अंशु मौर्य)

नया नाम

(रचित मौर्य)

पुत्र श्री विजय मौर्य,

पता- 109, जनक सोसायटी, विनय नगर,  
सेक्टर 02, ग्वालियर.

(G-451)

### नाम परिवर्तन

मैं, राकेश कुमार सविता पुत्र श्री ग्याप्रसाद सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ की मेरा घर का बोलता नाम राकेश कुमार सविता था जो मेरे सभी प्रपत्रों आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक की पासबुक, अंकसूचियां, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस में लिखा गया है जबकि वर्तमान में मुझे राकेश प्रसाद के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम राकेश प्रसाद के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा. राकेश कुमार सविता एवं राकेश प्रसाद मेरे ही नाम हैं. अतः मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक की पासबुक, अंकसूचियां, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम राकेश कुमार सविता के स्थान पर राकेश प्रसाद लिखा एवं पढ़ा जाए. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

पुराना नाम

(राकेश कुमार सविता)

नया नाम

(राकेश प्रसाद)

पुत्र श्री ग्याप्रसाद,

पता- सिद्धेश्वर नगर, गली नं. 03,  
मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-452)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अक्षिता सोमानी मेरा नाम विवाह पूर्व अक्षिता भराणी पिता राजीव भराणी था जो कि विवाह (07-12-2012) पश्चात अब मेरा नाम अक्षिता सोमानी पति गोपाल सोमानी हो गया है. भविष्य में मुझे मेरे परिवर्तित नाम अक्षिता सोमानी नाम से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम

(अक्षिता भराणी)

(Akshita Bharani)

नया नाम

(अक्षिता सोमानी)

(Akshita Somani)

पता- 17, चंद्रलोक कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.).

(G-453)

### नाम परिवर्तन

मैं राजेश कुमार सविता पुत्र श्री ग्याप्रसाद सविता सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा घर का बोलता नाम राजेश कुमार सविता था जो मेरे सभी प्रपत्रों आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक की पासबुक, अंकसूचियां, ड्राइविंग लाइसेंस में लिखा गया है जबकि वर्तमान में मुझे राजेश प्रसाद के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम राजेश प्रसाद के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा. राजेश कुमार सविता एवं राजेश प्रसाद मेरे ही नाम हैं. अतः मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक की पासबुक, अंकसूचियां, ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम राजेश कुमार सविता के स्थान पर राजेश प्रसाद लिखा एवं पढ़ा जाए. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

पुराना नाम

(राजेश कुमार सविता)

नया नाम

(राजेश प्रसाद)

पुत्र श्री ग्याप्रसाद,

पता- गली नं. 03, सिद्धेश्वर नगर,  
गिर्द ग्वालियर (मध्यप्रदेश).

(G-454)

### नाम परिवर्तन

मैं, अशोक कुमार रजक पिता स्व. श्री दुर्गा प्रसाद रजक उम्र लगभग 52 वर्ष निवासी म.नं. एम.आई.जी.-58, गोविन्द भवन कॉलोनी, साउथ सिविल लाइन, थाना सिविल लाइन, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश में 6वीं बटालियन विसबल रांझी, जबलपुर में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी सेवा पुस्तिका में मेरा नाम अशोक कुमार लिखा है जबकि मेरे सभी दस्तावेजों अंकसूची, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक बगैरह में अशोक कुमार रजक लिखा है। मैं अपनी सेवा पुस्तिका में अपना सरनेम अशोक कुमार रजक लिखाना चाहता हूँ, मुझे मेरे पूरे व सही नाम से लिखा पढ़ा जाए। अतः मेरी सेवा पुस्तिका में एवं मध्यप्रदेश के राजपत्र में मेरा नाम अशोक कुमार रजक दर्ज किया जाए।

पुराना नाम

(अशोक कुमार)  
(Ashok Kumar)

नया नाम

(अशोक कुमार रजक)  
(Ashok Kumar Rajak)

पता— म.नं. एम.आई.जी.-58, गोविन्द भवन कॉलोनी,  
साउथ सिविल लाइन, थाना सिविल लाइन,  
जिला—जबलपुर (म.प्र.).

(G-455)

### नाम परिवर्तन

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं मनोहर लाल झारिया MANOHAR LAL JHARIYA पिता श्री गुलाब लाल झारिया GULAB LAL JHARIYA निवासी निर्मल सिंह जैन वार्ड म.नं. 2111 भट्टा मोहल्ला न्यू कंचनपुर आधारताल जबलपुर, जिला जबलपुर मध्यप्रदेश निवासरत हूँ, वर्तमान समय में 6वीं वाहिनी विसबल जबलपुर के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में सुरक्षा कंपनी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हूँ मेरे अन्य समस्त दस्तावेजों आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर आई डी, बैंक पासबुक एवं पुलिस आईडी में मेरा नाम मनोहर लाल झारिया MANOHAR LAL JHARIYA पिता श्री गुलाब लाल झारिया GULAB LAL JHARIYA तथा मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम तथा मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम मनोहर लाल झारिया MANOHAR LAL JHARIYA पिता श्री गुलाब लाल झारिया GULAB LAL JHARIYA दर्ज है ये दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं।

अतः मेरे सभी शासकीय-अशासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम मनोहर लाल मेहरा MANOHAR LAL MEHRA पिता श्री गुलाब लाल मेहरा GULAB LAL MEHRA की जगह मनोहर लाल झारिया MANOHAR LAL JHARIYA पिता श्री गुलाब लाल झारिया GULAB LAL JHARIYA के नाम से जाना, पहचाना, लिखा पढ़ा जावे।

पुराना नाम

(मनोहर लाल मेहरा)

नया नाम

(मनोहर लाल झारिया)

(G-456)

### नाम परिवर्तन

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं राजेन्द्र सिंह कुशराम RAJENDRA SINGH KUSHRAM पिता श्री हरि सिंह कुशराम HARI SINGH KUSHRAM निवासी 6वीं वाहिनी पुरानी फैमली लाईन, मृदंग ब्लॉक 08 रांझी जबलपुर, जिला जबलपुर मध्यप्रदेश निवासरत हूँ, वर्तमान समय में 6वीं वाहिनी विसबल जबलपुर (म.प्र.) के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में सुरक्षा कंपनी में आरक्षक के पद पर पदस्थ हूँ मेरे अन्य समस्त दस्तावेजों आधार कार्ड, अंकसूची, पेन कार्ड, डाईविंग लायसेंस, पुलिस आई.डी.कार्ड, में मेरा नाम राजेन्द्र सिंह कुशराम RAJENDRA SINGH KUSHRAM पिता श्री हरि सिंह कुशराम HARI SINGH KUSHRAM तथा मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम राजेन्द्र सिंह RAJENDRA SINGH पिता श्री हरि सिंह कुशराम HARI SINGH KUSHRAM दर्ज है ये दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं।

अतः मेरे सभी शासकीय-अर्द्धशासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम राजेन्द्र सिंह RAJENDRA SINGH पिता श्री हरि सिंह कुशराम HARI SINGH KUSHRAM की जगह राजेन्द्र सिंह कुशराम RAJENDRA SINGH KUSHRAM पिता श्री हरि सिंह कुशराम HARI SINGH KUSHRAM के नाम से जाना, पहचाना, लिखा पढ़ा जावे।

पुराना नाम

(राजेन्द्र सिंह)

नया नाम

(राजेन्द्र सिंह कुशराम)

(G-457)

### नाम परिवर्तन

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं, कमलेश दाहिया KAMLESH DAHIYA पिता स्व. श्री जम्मा प्रसाद दाहिया LATE JAMMA PRASAD DAHIYA निवासी ग्राम नोनी, पो. करेलीकला, तह. व थाना गोटेगॉव, जिला नरसिंहपुर मध्यप्रदेश निवासरत हूँ, वर्तमान समय में 6वीं वाहिनी विसबल जबलपुर के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में सुरक्षा कंपनी में आरक्षक के पद पर पदस्थ हूँ मेरे अन्य समस्त दस्तावेजों आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक में मेरा नाम कमलेश दाहिया KAMLESH DAHIYA पिता स्व. श्री जम्मा प्रसाद दाहिया LATE JAMMA PRASAD DAHIYA तथा मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम कमलेश सिंह दोहैया KAMLESH SINGH DOOHAEYA पिता स्व. श्री जम्मा प्रसाद दोहैया LATE JAMMA PRASAD DOOHAEYA दर्ज है, ये दोनो नाम मेरे स्वयं के हैं.

अतः मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम कमलेश सिंह दोहैया KAMLESH SINGH DOOHAEYA पिता स्व. श्री जम्मा प्रसाद दोहैया LATE JAMMA PRASAD DOOHAEYA की जगह कमलेश दाहिया KAMLESH DAHIYA पिता स्व. श्री जम्मा प्रसाद दाहिया LATE JAMMA PRASAD DAHIYA के नाम से जाना, पहचाना, लिखा, पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(कमलेश सिंह दोहैया)

(G-458)

नया नाम

(कमलेश दाहिया)

### नाम परिवर्तन

मैं, अशोक कुमार अग्रवाल पुत्र श्री स्व. मलूकचन्द्र अग्रवाल, निवासी- 42, काजीपुरा, भोपाल मेरा सियाराम मिल्स लिमिटेड कम्पनी शेयर में अशोक कुमार गोयल लिखा गया है जबकि वर्तमान में मेरा नाम अशोक कुमार अग्रवाल मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड में लिखा है. मैं इसी नाम से जाना, पहचाना जाता हूँ एवं मैं, अशोक कुमार अग्रवाल के नाम से ही भविष्य में हस्ताक्षर भी करता रहूंगा.

पुराना नाम

(अशोक कुमार गोयल)

(G-459)

नया नाम

(अशोक कुमार अग्रवाल)

### नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती सीता देवी गर्ग पत्नी श्री राम अवतार गर्ग सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय शैक्षणिक प्रपत्र जैसे पेन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई. डी. कार्ड, इत्यादि में मेरा नाम श्रीमती सीता देवी गर्ग अंकित है एवं मेरे जीटीवी इंजीनियरिंग लिमिटेड शेयर सर्टिफिकेट में मेरा नाम सीता देवी दर्ज है, ये दोनों ही नाम मेरे स्वयं के यानि एक ही व्यक्ति के नाम है, अतः मेरे जीटीवी इंजीनियरिंग लिमिटेड शेयर सर्टिफिकेट में मेरा नाम श्रीमती सीता देवी के स्थान पर श्रीमती सीता देवी गर्ग नाम पढ़ा जाये. सर्वजन एवं आमजन सूचित हो.

पुराना नाम

(सीता देवी )

(G-460)

नया नाम

(सीता देवी गर्ग)

निवासी- 184, मॉ राज राजेशवरी मंदिर के पास,  
गौतम नगर, नारियलखेड़ा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम काका सिंह जूनेजा (KAKA SINGH JUNEJA) पिता त्रिलोक सिंह जूनेजा था, जो कि मेरे पी.एफ. खाते में दर्ज है एवं पुराने पेन कार्ड पर भी दर्ज था, जिसे परिवर्तित करते हुए मैंने अपना नाम जसवंत सिंह जूनेजा (JASWANT SINGH JUNEJA) पिता त्रिलोक सिंह जूनेजा कर लिया है जो कि सही व रात्य है तथा गेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड पर भी दर्ज है. अतः भविष्य में समस्त दस्तावेजों/अभिलेखों में दर्ज/मान्य करते हुये मुझे मेरे परिवर्तित नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम

(काका सिंह जूनेजा)  
(KAKA SINGH JUNEJA)

नया नाम

(जसवंत सिंह जूनेजा)  
(JASWANT SINGH JUNEJA)

पिता- श्री त्रिलोक सिंह जूनेजा,  
पता- 174, अमितेश नगर, इन्दौर (म.प्र.)

(G-461)

### CHANGE OF SURNAME

This is to inform everybody that before marriage my name was DEEPTI TOMAR D/o Mr. JAGDISH SINGH. At present after marriage I have changed my surname is DEEPTI PARMAR W/o Mr. ANOOP SINGH PARMAR R/o HIG-823, OLD HOUSING BOARD COLONY, MORENA (M.P.) PRESENT R/O D-46, GULMOHAR CITY, GWALIOR (M.P.). In all identity i.e. Service Book, Private, Government, Semi Government, Bank, Passport or other concerned records my name is mentioned as DEEPTI PARMAR W/o Mr. ANOOP SINGH PARMAR.

Old Name

(DEEPTI TOMAR)  
D/o Mr. JAGDISH SINGH

New Name

(DEEPTI PARMAR)  
W/o Mr. ANOOP SINGH PARMAR  
R/o HIG-823, OLD HOUSING BOARD  
COLONY, MORENA (M.P.) PRESENT  
R/O D-46, GULMOHAR CITY, GWALIOR (M.P.).

(G-462)

### CHANGE OF NAME

I, KAPIL KANT SEN S/O MR. RAMRATAN SEN, RESIDENT of 470, Omaxe City-2, Mangliya Court A.B. Road, Mangaliya Arniya, Indore, Madhya Pradesh-453771 declare that my name KAPIL KANT SHRIWAS S/O MR. RAMRATAN SEN is incorrect. My Correct name is KAPIL KANT SHRIWAS KAPIL KANT SHRIWAS From now I will be known as KAPIL KANT SHRWAS S/O Mr. RAMRATAN SEN For all future purposes

Old Name

(KAPIL KANT SEN )

New Name

(KAPIL KANT SHRIWAS)  
Add: 470, Omaxe City-2, Mangliya Court,  
A.B. Road, Mangaliya Arniya,  
Indore, Madhya Pradesh.

(G-463)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं अमित सिलधरिया पिता श्री प्रदीप सिलधरिया, 370 अहाता रुस्तम खॉन श्यामला हिल्स भोपाल मध्यप्रदेश वर्तमान पता वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय परिसर तहसील ऑफिस के सामने भैंसदेही जिला बैतूल मध्यप्रदेश आज दिनांक के पूर्व अमित सिलधरिया नाम से जाना, पहचाना जाता था. आज दिनांक से मुझे अमित सिंह चौहान नाम से जाना व पहचाना जावे. उक्त अमित सिलधरिया के स्थान पर आज से अमित सिंह चौहान होकर वास्तविक नाम अमित सिंह चौहान संस्थापित करवा रहा है. जिससे मुझे आज दिनांक से अमित सिंह चौहान नाम से जाना, पहचाना जाकर संबोधित किया जावे. उक्त आशय की जाहिर सूचना जानिये.

पुराना नाम

(अमित सिलधरिया)

(G-464)

नया नाम

(अमित सिंह चौहान)

### जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/s EUPHORIA MINES AND MINERALS, पता- 8C- PARAMOUNT VILLA, ANSALS SHYAMLA HILLS, BHOPAL MADHYA PRADESH 462002 पंजी.क्र. 01-01-01-0203-16 दिनांक 14 सितम्बर 2016 है, दिनांक 01 अप्रैल 2018 को 1. Mr. Chander Shekhar Chaurasia S/o Lt. Shri Deen Dayal Chaurasia, 9A, Paramount Villa, Shyamla Hills, Bhopal- 462001 भागीदारी फर्म में शामिल हुए. दिनांक 1 अप्रैल 2018 को 1. Smt. Vishakha Jalan D/o Shri Anant Kumar Jalan, 21/37, Second Floor Near Pani Tanki Old Rajinder Nagar Delhi- 110060 भागीदारी फर्म से पृथक् हुई. दिनांक 1 दिसम्बर 2018 को 1. Mr. Himanshu Meena S/o Shri Ramji Lal Meena, Harmada Jaipur, Rajasthan 302013 भागीदारी फर्म में शामिल हुए. दिनांक 1 दिसम्बर 2018 को 1. Mr. Bhim Singh Meena S/o Late Shri Sukhdev Meena, x-16, atliputra, Ambabari Jaipur, Rajasthan- 302012 भागीदारी फर्म से पृथक् हुए. दिनांक 1 अप्रैल 2018 को MIG-46, Saraswait Nagar, Bahumanzila Apartment, South T.T. Nagar, Bhopal (M.P.)- 462027 के स्थान पर फर्म का पता परिवर्तन कर 9-A, Paramount Villa, Ansals, Shyamla Hills, Bhopal- 462013 किया गया है. दिनांक 29 जनवरी 2022 को फर्म का पता परिवर्तन कर 8C- PARAMOUNT VILLA, ANSALS SHYAMLA HILLS, BHOPAL MADHYA PRADESH 462002 किया गया है.

FOR M/s EUPHORIA MINES AND MINERALS,

**HIMANSHU MEENA,**

(Partner)

Add. 8C- PARAMOUNT VILLA, ANSALS SHYAMLA HILLS,

BHOPAL, MADHYA PRADESH 462002.

(G-465)

### जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/s LEE VEDLA INDUSTRIAL CORPORATION, पता- INDUSTRIAL ESTATE, GOVINDPURA BHOPAL पंजी.क्र. 01-01-01-0533-17, दिनांक 22 मार्च 2017 है, दिनांक 20 अक्टूबर 2021 को Shri. Lalit Sachdeva S/o Shri V.P. Sachdeva, R/o 12-A, Industrial Estate, Govindpura Bhopal. मृत्यु हो जाने के कारण भागीदारी फर्म से पृथक् हुए. दिनांक 20 अक्टूबर 2021 को Mr. Divyansh Sachdeva R/o Govindpura Bhopal, भागीदारी फर्म में शामिल हुए. दिनांक 01 मार्च 2022 को 1. V.P. Sachdeva S/o Late. Shri Thakkardas, R/o Govindpura Bhopal, 2. Mrs. Leela Sachdeva W/o Shri V.P. Sachdeva, R/o Govindpura Bhopal भागीदारी फर्म से पृथक् हुए. दिनांक 1 मार्च 2022 को भागीदारी फर्म का पता परिवर्तन कर- 12-A, INDUSTRIAL ESTATE, GOVINDPURA BHOPAL किया गया है.

FOR M/s LEE VEDLA INDUSTRIAL CORPORATION,

**ARADHANA SACHDEVA,**

(Partner)

Add. 12-A, INDUSTRIAL ESTATE, GOVINDPURA, BHOPAL

(G-466)

## जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स सारांश कंस्ट्रक्शन, 53-बी, संतराम सिंधी कॉलोनी, उज्जैन, मध्यप्रदेश में स्थित है उक्त फर्म का पंजीयन क्रमांक 07-33-01-0092-21, दिनांक 08 अक्टूबर 2021 है. गठन के समय फर्म में दो पार्टनर 1. श्री नीरज माखीजा पिता श्री ओमप्रकाश माखीजा, 2. श्री अनिल चौधरी पिता श्री अर्जुनदास चौधरी थे. फर्म में दिनांक 18 मई 2019 से श्री अनिल चौधरी पिता श्री अर्जुनदास चौधरी अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गए हैं एवं इसी दिनांक 18 मई 2019 से दो नए भागीदार 1. श्री कमल माखीजा पिता श्री बुलचन्द माखीजा, 2. श्री बादल माखीजा पिता श्री ईश्वर माखीजा फर्म में सम्मिलित हो गए हैं.

दिनांक 18 मई 2019 को भागीदारी संशोधन विलेख के पश्चात् वर्तमान में फर्म मेसर्स सारांश कंस्ट्रक्शन में तीन भागीदार हैं. 1. श्री नीरज माखीजा पिता श्री ओमप्रकाश माखीजा, 2. श्री कमल माखीजा पिता श्री बुलचन्द माखीजा, 3. श्री बादल माखीजा पिता श्री ईश्वर माखीजा रहेंगे. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

मेसर्स सारांश कंस्ट्रक्शन,

नीरज माखीजा,

(पार्टनर)

पता- 53-बी, संतराम सिंधी कॉलोनी, उज्जैन,(म.प्र.)

(G-467)

## आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स विन्धया डेवलपर्स सतना पंजीयन क्रमांक री.सं. 34 दिनांक 9 अगस्त 2004 द्वारा पंजीकृत है, जिसमें निम्न भागीदार:- (1) श्री नितिन कुमार शुक्ला, (2) श्री विपिन कुमार शुक्ला, (3) श्री महेश कुमार आवतवानी है, उक्त में से श्री महेश कुमार आवतवानी आत्मज श्री ईश्वरलाल आवतवानी साकिन सिन्धी कैम्प टीएमडी हाल के सामने रघुराज नगर सतना मध्यप्रदेश दिनांक 22 अक्टूबर 2021 को उक्त फर्म से पृथक हो गये है, उनकी लेनदारियां एवं देनदारियां शेष नहीं है, उक्त फर्म में श्रीमती सन्ना आवतवानी आत्मज श्री रोहित आवतवानी साकिन मकान नं. 270, सिन्धी कैम्प, सतना (म.प्र.) दिनांक 22 अक्टूबर 2021 को फर्म के भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गई हैं. अगर इसमें किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो 05 (पांच) दिवस के अन्दर इस पते पर सूचित करें, वाद समाप्त म्याद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी.

मैसर्स विन्धया डेवलपर्स,

नितिन कुमार शुक्ला,

(भागीदार)

पता- यू.सी. किन्डीज प्ले स्कूल, दुर्गा माता मन्दिर  
के सामने, विराट नगर, सतना (म.प्र.).

(G-468)

## आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स श्री शिव शक्ति कोल्ड स्टोरेज पता- सर्वे न. 1810, ग्राम मक्सी, डिस्ट्रिक्ट शाजापुर, (म.प्र.). जिसका पंजीयन क्रमांक 07-38-03-0010-15 दिनांक 29 मई 2015 है. जिसमें आज दिनांक

24 अक्टूबर 2022 तक निम्नलिखित भागीदारगण फर्म का संचालन कर रहे थे :-

1. कृष्णपाल सिंह सोलंकी आत्मज ब्रजराज सिंह सोलंकी.
2. श्रवण सिंह चौहान आत्मज उदय सिंह चौहान

दिनांक 24-02-2022 को नवीन भागीदार सीमा सोलंकी पति कृष्णपाल सिंह सोलंकी को फर्म में सम्मिलित किया गया है एवं इसी दिनांक से भागीदार श्रवण सिंह चौहान आत्मज उदय सिंह चौहान निवासी ग्राम मुंडियाबाग, इंदौर अपनी स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं. इस प्रकार आज दिनांक 24-02-2022 को निम्नलिखित भागीदार हैं.

1. कृष्णपाल सिंह सोलंकी आत्मज ब्रजराज सिंह सोलंकी.
2. सीमा सोलंकी पति कृष्णपाल सिंह सोलंकी

भागीदारी फर्म मैसर्स श्री शिव शक्ति कोल्ड स्टोरेज में उपरोक्त परिवर्तन सर्वजन एवं आमजन को सूचित हों.

फर्म मैसर्स श्री शिव शक्ति कोल्ड स्टोरेज,  
कृष्णपाल सिंह सोलंकी,  
(पार्टनर)

पता— ग्राम मक्सी, डिस्ट्रिक्ट शाजापुर, (म.प्र.).

(G-469)

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स श्री अन्नपूर्णा इंटरप्राइजेज पता— मकान न. 404, केशरी निवास, गीतांजली पब्लिक स्कूल, सिविल लाइन, रीवा (म.प्र.) 05-22-03-0144-21, दिनांक 13-02-2021 है. फर्म के नये पार्टनर के रूप में श्री ऐश्वर्य राज सिंह पिता श्री श्रीराज सिंह पता शंकर सदन, नियर मैजिक सिनेमा, जिला रीवा (म.प्र.). दिनांक 18-08-2021 से फर्म में शामिल हो गये हैं. अतः जिस किसी को भागीदारी विलेख के संबंध में आपत्ति हो तो वह प्रकाशन दिनांक के सात दिवस के अन्दर आपत्ति दर्ज करें.

द्वारा फर्म

मैसर्स श्री अन्नपूर्णा इंटरप्राइजेज,  
श्री विकास उपाध्याय,  
(पार्टनर)

पता— मकान न. 404, केशरी निवास,  
गीतांजली पब्लिक स्कूल, सिविल लाइन,  
रीवा (म.प्र.)

(G-470)



## विविध

### न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास उपखण्ड बासौदा जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

आचार्य श्री विद्यासागर गौशाला ट्रस्ट, गंज बासौदा  
द्वारा अध्यक्ष संतोष कुमार पुत्र श्री हल्कू प्रसाद जैन  
नेवासी वार्ड नं 13, लीलाधर मण्डी मार्ग, मिल रोड  
गंजबासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.).....आवेदक  
बनाम

म.प्र.शासन

समक्ष-

पंजीयक लोक न्यास बासौदा।

आवेदक श्री संतोष कुमार पुत्र श्री हल्कू प्रसाद जैन निवासी वार्ड नं 13, लीलाधर मण्डी मार्ग, मिल रोड गंजबासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.) द्वारा आचार्य श्री विद्यासागर गौशाला ट्रस्ट गंजबासौदा जिला विदिशा के पंजीयन हेतु (म.प्र.) सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम 1951 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

1. न्यास का नाम :- आचार्य श्री विद्यासागर गौशाला ट्रस्ट, गंज बासौदा जिला विदिशा (म.प्र.)
2. न्यास का कार्यालय :- आचार्य श्री विद्यासागर गौशाला ट्रस्ट, मेवली कांचरोद वायपास मार्ग त्योंदा रोड गंजबासौदा, जिला विदिशा।
3. पत्र व्यवहार का पता :- पारस टेन्ट हाउस, नेहरू चौक, गंजबासौदा जिला विदिशा (म.प्र.)।
4. न्यास का कार्यक्षेत्र :- संपूर्ण भारतवर्ष होगा।
5. न्यास की चल संपत्ति :- ट्रस्ट के पास ग्राम मेवली तहसील बासौदा में मेवली कांचरोद रोड पर आराजी नंबर 60 रकबा 0.679 हे० भूमि।
6. न्यास का उद्देश्य :- गौशाला, हथकरघा, छात्रावास, विद्यालय, मंदिर, धर्मशाला औषधालय का निर्माण एवं रख रखना भोजनालय, शीतल जल प्रबंधन आदि का स्वामित्व रखकर संरक्षण संवर्धन एवं व्यवस्था करना तथा इस क्षेत्र को सुनियोजित रूप से संचालित करना और आम जन के हितार्थ वृद्धिगत करना, अहिंसा, जियो और जीने दो, शाकाहार, पर्यावरण संरक्षण आदि सिद्धांतों की पूर्ति हेतु भिन्न-भिन्न अवसरों पर समारोहों का आयोजन करना एवं वांछनीय साहित्य और ग्रन्थों का प्रकाशन कराना एवं उचितानुसार निर्माण करना, क्षेत्रों पर निर्माण एवं विकास करना, व्यवस्था करना। इस हेतु समिति की समस्त चला एवं अचल संपत्ति का संरक्षण, संवर्धन एवं व्यवस्था करना, निराश्रित पशुओं का पालन-पोषण एवं संरक्षण करना, उनकी उन्नत प्रजाति का संवर्धन करना, पशु के गौमूत्र से औषधियां तैयार कराना, गोबर से खाद तैयार करना तथा उसका उपयोग करना, शाकाहार के महत्व को प्रतिपादित करना व प्रचार-प्रसार करना, उद्देश्यों की पूर्ति के लिये शासकीय, अर्धशासकीय एवं स्थानीय संस्थाओं का कार्यालयों, विभाग आदि से भू-भाग प्राप्त करना, लीज लायसेंस अनुज्ञा आदि नाध्यमों से भूमि प्राप्त करना, ट्रस्ट का स्थाई कोष एवं संचित आय से ट्रस्ट के हित में विभिन्न चल व अचल संपत्ति का निर्माण करना, खरीदना, किराये पर अथवा लायसेंस, पट्टे आदि पर लेना अथवा देना। इस प्रकार से चल व अचल संपत्ति के संबंध में ऐसी सभी कार्यवाही करना, पशुओं की रक्षा हेतु गौशालाओं का निर्माण करना, कार्यालय, कर्मचारी निवास बनाना, जल संरक्षण, गौदाम बनाना, जल विजली व खाद्य सामग्री की व्यवस्था करना, पशु आहार हेतु चारागाह का विकास करना, पशु चिकित्सालय खोलना, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करना, शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करना, सामाजिक आयतनों की रक्षार्थ एवं जीर्णोद्धारार्थ सहायता करना एवं करवाना, विधवा महिलाओं, असमर्थ छात्र-छात्राओं, वृद्ध एवं असहाय व्यक्तियों एवं विकलांगों को सभी प्रकार की सहायता देना व दिलाने का प्रबंध/व्यवस्था करना, समाज में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या पर विचार एवं निवारणार्थ आवश्यक उपाय करना व करवाना, सामाजिक अधिकारों एवं हितों के संरक्षण हेतु अखिल भारतवर्षीय आंदोलनों में यथोचित सहयोग करना एवं आवश्यकता पड़ने पर केन्द्रीय संस्थाओं का सदस्य बनना समाज की संस्थाओं को उनके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हर संभव सहयोग करना, पर्यावरण सुरक्षित रखना एवं क्षेत्र को हरा-भरा रखना, क्षेत्र की मर्यादा को नष्ट नहीं होने देना, पुरातत्व संपदा को संग्रह कर संग्रहालय बनाना तथा संग्रहालय एवं पुरातत्व संपदा के संरक्षण हेतु शासन-प्रशासन से सुविधा प्राप्त करना, उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ का प्रयोजन या अर्जित करना निहित नहीं है। आवश्यकतानुसार उप समिति का गठन करना एवं उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति उप समिति से करवाना, दिगंबर जैन आम्नायानुसार प्रवर्तन वाले एवं जैन आम्नाओं का ध्यान रखने वाले जैन साधु-साध्वी संघ तथा त्यागीव्रती आदि की आहार-विहार एवं आवास की व्यवस्था में सहयोग करना (लेकिन साधु-साध्वी की आगम विरुद्ध चर्चा होने पर कमेटी उनकी व्यवस्था हेतु बाध्य नहीं होगी)।

इस ट्रस्ट पर संपूर्ण कार्यक्रम ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार एवं व्यवस्थापकों की पूर्वानुमति से ही होगा। क्षेत्र पर क्षेत्रपाल, पद्मावती आदि शासनदेवी, देवताओं एवं अन्य रागी ह्येपी देवताओं की स्थापना, पूजन-आरती वर्जित है तथा मृत-प्रेतों की झाडा-फूकी वर्जित है। क्षेत्र पर महिलाओं द्वारा अभिषेक प्रक्षाल वर्जित है। पंचामृत अभिषेक, पुष्प चढ़ाना और भगवान को केशर लगाना वर्जित है। इस ट्रस्ट क्षेत्र पर सामूहिक रात्रि भोज, मद्य, मांस, मधु आदि अभक्ष्य भक्षण वर्जित है तथा दिगम्बर जैन तैरापंथ आचार्य कुन्दकुन्द आम्नाय के अतिरिक्त अन्य आम्नाओं का साहित्य पत्र पत्रिका एवं कार्यक्रम वर्जित होंगे तथा जिन मूर्तियों में मुनियों द्वारा सूरिमंत्र न दिया गया हो ऐसी मूर्तियां भी क्षेत्र में रखना, रखवाना भी वर्जित है।

7. सदस्यता :- निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति ट्रस्ट के सदस्य बन सकेंगे:- ट्रस्ट के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों भारत के बाहर रहने वाले दिगम्बर जैन बन्धु भी जो ट्रस्ट के विधान नियमावली का पालन करने के लिये सहमत हों तो सदस्य हो सकेंगे। बालिग हों अर्थात् 18 वर्ष उससे अधिक आयु का कोई भी दिगम्बर जैन धर्मावलम्बी दिगम्बर जैन सदस्य हो सकेगा, कोई भी पागल या दिवालिया व्यक्ति ट्रस्ट का सदस्य नहीं हो सकेगा, जो व्यक्ति ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं कार्यों में रूचि व आस्था रखता हों, ट्रस्ट के हित को सर्वोपरि समझने वाले व्यक्ति ही सदस्य हो सकेंगे, ट्रस्ट में दिगम्बर जैन विधान के नियमानुसार सदस्य होंगे तथा उन्हें क्षेत्र पर उपरोक्त दिगम्बरशास्त्र कुन्दकुन्द मूल आम्नाय का पालन करना होगा। व दिगम्बर आम्नाय के अनुसार आचरण करने वाला व्यक्ति ही सदस्य हो सकेगा, विधानानुसार सदस्यता शुल्क नियमानुसार जमा कराने वाला हो।
8. सदस्यों का वर्गीकरण :- ट्रस्ट के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत किये गये हैं:- शिरोमणि संरक्षक, परमसंरक्षक, संरक्षक, ट्रस्टी उपर अंकित सदस्यों की सदस्यता आजीवन रहेगी।
9. सदस्यता से निष्कासन :- ट्रस्ट के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा:- किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जावेगी, किसी भी सदस्य का त्यागपत्र लिखित में आने तथा उसे स्वीकार कर लेने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जावेगी, किसी भी सदस्य का समिति के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर विधान के नियम, उपनियमों के उल्लंघन करने पर एवं दोषी पाये जाने पर परंतु एक जांच समिति बनाकर उसकी रिपोर्ट लेने पर (जांच समिति संबंधित व्यक्ति से जानकारी लेकर) कार्यकारिणी द्वारा सदस्यता से पृथक किया जा सकेगा, सभी सदस्यों की सदस्यता शुल्क की किश्त निर्धारित तिथि के बाद अगली किश्त की निर्धारित तिथि तक जमा होना अनिवार्य है अन्यथा जमा न होने पर सदस्य की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जावेगी, संतशिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं इनके परम शिष्य इन संस्थाओं के सम्प्रेरक 108 मुनि श्री विशद सागर जी महाराज या इनकी समाधि उपरांत जो भी मुनि इस परंपरा को आगे बढ़ायेंगे की भावनाओं के प्रतिकूल कार्य करने पर सदस्यता समाप्त कर दी जावेगी, नोट:- नगर के सभी जैन मंदिरों के तत्कालीन अध्यक्ष/महामंत्री ट्रस्ट के मनोनीत सदस्य रहेंगे, परंतु मताधिकार नहीं कर सकेंगे।
10. साधारण सभा :- शिरोमणि संरक्षक, परम संरक्षक, संरक्षक एवं ट्रस्टी मिलकर साधारण सभा मानी जावेगी, यही साधारण सभा ट्रस्ट के ट्रस्टी माने जावेंगे, यही साधारण सभा वोटर मानी जावेगी, यदि कार्यकारिणी प्रति वर्ष अपना हिसाब पूर्ण रूप से विस्तार पूर्वक साधारण सभा के समक्ष रखकर संस्तुति नहीं कराती है तो साधारण सभा कार्यकारिणी को कभी भी भंग कर सकती है।
11. साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :- कार्यकारिणी समिति के अधिकतम 25 सदस्यों का चयन करना, कार्यकारिणी ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत अगले वर्ष का बजट पारित करना, गत वर्ष की रिपोर्ट हिसाब स्वीकृत करना। हिसाब में आय व्यय का आंकड़ा बैलेंस शीट (रोकड़ वही) मय अंकेक्षण के जांच करना एवं हिसाब को सदन में रखना कहना, यदि कार्यकारिणी प्रतिवर्ष अपना हिसाब पूर्ण रूप से विस्तार पूर्वक साधारण सभा के समक्ष रखकर संस्तुति नहीं कराती है तो साधारण सभा कार्यकारिणी को कभी भी भंग कर सकती है, सभी सभाओं की समस्त कार्यवाही एक पृथक कार्यवाही रजिस्टर में अंकित की जावेगी जो आगामी सभा में पुष्टि हेतु प्रस्तुत की जावेगी, लेकिन प्रत्येक सभा में पारित अथवा नापारित प्रस्तावों की कच्ची कार्यवाही (मिनिट्स) उसी समय लिखकर सभा अध्यक्ष से हस्ताक्षरित करवा ली जावेगी, कार्यकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना, ट्रस्ट के विधान में परिवर्तन एवं संशोधन करना, साधारण सभा में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत के आधार पर किया जा सकेगा। विधान में इस प्रकार के परिवर्तन के प्रस्ताव को पहले कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत किया जावेगा। रजिस्ट्रार कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर लागू होगा, कार्यकारिणी ट्रस्ट द्वारा अचल संपत्ति के रूपांतरण की पुष्टि एवं विक्रय की स्वीकृति देना लेकिन अचल संपत्ति के विक्रय की स्वीकृति हेतु सभा का दो तिहाई बहुमत होना आवश्यक होगा, ट्रस्ट के हिसाब का अंकेक्षण हेतु चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रतिवर्ष नियुक्ति करना तथा ट्रस्ट के लेखा का ऑडिट करना होगा, ट्रस्ट के नियम अथवा उद्देश्यों के विरुद्ध कार्य करने पर किसी भी सदस्य के खिलाफ अनुशासनात्मक

कार्यवाही करना जिसमें सदस्यता से निष्कासन भी शामिल है, कोई भी सदस्य चाहे महिला हो अथवा पुरुष उक्त सदस्य को ही बैठक या सभा में बैठने एवं भाग लेने का अधिकार होगा, परिवार के अन्य किसी सदस्य को बैठक या सभा में बैठने या भाग लेने बोलने का अधिकार नहीं होगा।

## 12. साधारण सभा की बैठके

ट्रस्ट की साधारण सभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम एक बार होगा। दो अधिवेशनों के मध्य 18 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा, प्रथम साधारण सभा का अधिवेशन ट्रस्ट का पंजीयन होने की तिथि से 6 माह के भीतर होगा, गणपूर्ति कोरम - प्रत्येक साधारण सभा की कार्यवाही प्रारंभ करने से पूर्व गणपूर्ति कोरम हेतु कुल सदस्य संख्या का एक तिहाई की उपस्थिति में अनिवार्य होगी। यह नियम प्रथम सभा के लिये लागू नहीं होगा वरन् उस समय कुल सदस्यों की एक तिहाई उपस्थिति भी कोरम मानी जावेगी। गणपूर्ति के अभाव में सभा स्थगित होकर आधा घण्टा पश्चात् ही स्थगित सभा के रूप में एकत्रित होकर एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जा सकेगा, जिसके लिये गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी, साधारण सभा की सूचना, सभा होने की स्थिति से कम से कम दस दिन पूर्व जारी की जावेगी जिसमें अधिवेशन का स्थान, तारीख, समय एवं कार्य विवरण उल्लेखित होगा। सभा की सूचना डाक द्वारा पोस्टल प्रमाण पत्र के अंतर्गत प्रेषित की जावेग या अन्य साधन जैसे मोबाईल, फोन आदि से दी जा सकेगी अथवा रजिस्टर पर हस्ताक्षर लेकर भी दी जा सकेगी, ट्रस्ट के कुल सदस्य संख्या का 1/10 अंश अथवा 25 सदस्य (जो भी ज्यादा हो) की लिखित मांग आने पर साधारण सभा बुलाई जावेगी। मांग पत्र में सदस्यों को सभा बुलाने का कारण एवं कार्य विवरण लिखित रूप में अपने हस्ताक्षरों सहित अध्यक्ष अथवा महामंत्री को प्रेषित करना होगा, यदि अध्यक्ष अथवा महामंत्री लिखित प्रार्थना पत्र आने के तीन माह के भीतर बैठक नहीं बुलायेंगे तो सभा की सूचना मय कार्य विवरण के जारी कर सकेंगे। इस प्रकार से बुलाई गई सभा में कुल साधारण सभा के तिहाई सदस्यों का बहुमत होने पर ही उसमें लिये गये निर्णय मान्य होंगे, साधारण सभा में लिये गये निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होंगे, मताधिकार एवं निर्णय- प्रत्येक सभा में किसी भी विषय पर सदस्य एक मत न हों तो निर्णय बहुमत के आधार होगा। इस हेतु प्रत्येक सदस्य को केवल एक वोट देने का अधिकार होगा। आवश्यकता पडने पर सभा अध्यक्ष अपने निर्णायक वोट का प्रयोग कर सकेगा। मतगणना लिखित पर्ची के आधार पर गोपनीय होगी, साधारण सभा ट्रस्ट के पंजीकृत कार्यालय अथवा कार्यकारिणी ट्रस्ट द्वारा निर्धारित स्थान पर होगी, कार्यकारिणी ट्रस्ट द्वारा अचल संपत्ति के रूपांतरण की पुष्टि एवं विक्रय की स्वीकृति देना।

## 13. कार्यकारिणी का गठन

ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समस्त कार्यों का संचालन, निष्पादन करना:-  
01. कार्यकारिणी ट्रस्ट में शिरोमणि संरक्षक एवं परम् संरक्षक को छोड़कर जो चयनित होंगे उनकी अधिकतम कुल संख्या 31 होगी जिन्हें साधारण सभा में सभी सदस्यों द्वारा चयन किया जावेगा। शिरोमणि एवं परम् संरक्षक इस कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे लेकिन शिरोमणि संरक्षक एवं परम् संरक्षक की अनुपस्थिति में कोरम प्रभावित नहीं माना जावेग। उपस्थित रहने पर सभी सदस्यों के समान अधिकार रहेंगे। 02. शिरोमणि संरक्षक एवं परम् संरक्षक तथा चयनित सदस्य मिलकर कार्यकारिणी मानी जावेगी। सभी कार्यकारिणी के सदस्यों में से पदाधिकारी चुने जा सकते हैं। (शिरोमणि संरक्षक एवं परम् संरक्षक में से भी पदाधिकारी हेतु चयनित किये जा सकेंगे),  
03. कार्यकारिणी ट्रस्ट के निम्न पदाधिकारी होंगे:- अध्यक्ष पद:- एक, कार्यकारिणी अध्यक्ष पद:- एक, उपाध्यक्ष पद:- दो, महामंत्री पद:- एक, कोषाध्यक्ष पद:- एक, मंत्री पद:- एक, सहमंत्री पद:- एक, उपयंत्री पद:- एक, प्रवक्ता:- एक, इस प्रकार कार्यकारिणी में 10 पदाधिकारी होंगे शेष जो चयनित सदस्य शेष रहेंगे एवं शिरोमणि संरक्षक एवं परम् संरक्षक जितने भी होंगे वह सभी कार्यकारिणी के सदस्य माने जावेंगे। यदि कोई शिरोमणि संरक्षक या परम् संरक्षक पदाधिकारी चयनित हो जाता है तो उसकी गणना पदाधिकारी में गिनी जावेगी तथा शेष गणना कार्यकारिणी के सदस्यों में की जावेगी, नोट:- आवश्यकता पडने पर पदाधिकारियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है तथा आवश्यकतानुसार उप समितियों का गठन किया जा सकता है। 04. आवश्यकता पडने पर उप समिति बनाई जा सकती है उप समिति को मुख्य ट्रस्ट की अनुमति से कार्य करना होगा। बैंक खाते आदि मुख्य समिति द्वारा संचालित होंगे लेकिन इस उपसमिति द्वारा जो भी धिल आयेंगे वह मुख्य ट्रस्ट को मान्य करने पडेंगे बजट आदि की सुविधा न होने पर आगे के कार्य के लिये मुख्य समिति उपसमिति को रोक सकती है। इस उपसमिति में पांच या सात सदस्य रहेंगे। एक मुख्य प्रभारी एवं एक वित्त प्रभारी रहेगा। इस उपसमिति का चयन कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जावेगा। यह उपसमिति कभी भी भंग की जा सकेगी तथा कार्यभार मुख्य ट्रस्ट को सौंपा जा सकता है।

## 14. कार्यकारिणी का निर्वाचन

प्रत्येक कार्यकारिणी ट्रस्ट का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा, कार्यकारिणी का कार्यकाल एक अप्रैल से होगा, जिस हेतु चुनाव प्रक्रिया या आम सहमति से पूर्ण करा ली जावेगी, चुनाव गुप्त मतदान या आम सहमति द्वारा होगा। चुनाव अप्रत्यक्ष होगा, चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कार्यकारिणी समिति द्वारा की जावेगी, अतिआवश्यक होने पर विशेष योग्य दो-तीन सदस्य अधिकतम सात सदस्य मनोनीत किये

जा सकते हैं। (यह संख्या चयनित सदस्यों के अलावा होगी, इनके अधिकार सामान्य सदस्यों के समान रहेंगे।)

15 कार्यकारिणी के अधिकार एवं कर्तव्य

ट्रस्ट की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य होंगे:-

ट्रस्ट की कार्यकारिणी का सदस्य एवं पदाधिकारी केवल वही व्यक्ति चुना जा सकेगा जिसने सदस्यता आवेदन फॉर्म एवं सदस्यता शुल्क नियमानुसार जमा कर दिया होगा। सदस्यता शुल्क की किश्त देय होने पर जमा न कराने की स्थिति में उसे स्पष्टीकरण का अवसर देते हुए कार्यकारिणी समिति से पृथक किया जा सकेगा, कार्यकारिणी द्वारा आगामी कार्यकाल का बजट, गत कार्यकाल की रिपोर्ट आय-व्यय का आंकड़ा एवं बैलेन्स-शीट मय आंतरिक लेखा निरीक्षक के प्रतिवेदन तथा चार्टर्ड अकाउण्टेंट द्वारा प्रमाणित हिसाब पारित कराना तथा उसे स्वीकृति हेतु साधारण सभा में प्रस्तुत करना, ट्रस्ट की चल व अचल तथा अन्य सम्पत्तियों की रक्षा व देखभाल करना। कार्यकारिणी समिति चल सम्पत्तियों का क्रय एवं विक्रय सभा में पारित प्रस्तावों के अनुसार कर सकेगी, आवश्यकता पड़ने पर कार्य संचालन हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्ता तथा सेवा संबंधी नियमों को समय-समय पर निर्माण करना व उन्हें लागू करना, साधारण सभा द्वारा पारित सभी प्रस्तावों को कार्यरूप में परिणित करना, ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यकारिणी समिति विभिन्न विभागों की स्थापना करेगी। उन विभागों के संचालनार्थ संयोजकों के अधीन उक्त समितियाँ गठित की जा सकेंगी, प्रत्येक संयोजक अपने विभाग की रिपोर्ट एवं हिसाब महामंत्री के माध्यम से अध्यक्ष को समय पर प्रेषित करेंगे, कार्यकारिणी ट्रस्ट कमेटी के अन्य सभी कार्य करेगी जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों, कमेटी के द्वारा जिस सदस्य को जो भी कार्य सौंपा जावेगा वह कार्य उसे करना अनिवार्य होगा।

16 कार्यकारिणी की बैठकें

कार्यकारिणी की बैठक का कोरम सभा में उपस्थित न्यूनतम 11 सदस्यों का माना जावेगा, कार्यकारिणी की बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व जारी की जावेगी। जिसमें बैठक का स्थान, तारीख, समय एवं कार्य का विवरण उल्लेखित होगा। बैठक की सूचना डाक द्वारा पोस्टल प्रमाण-पत्र एवं लिखित रजिस्टर पर हस्ताक्षर करवाकर या अन्य साधन जैसे- मोबाईल, फोन आदि से भी दी जा सकेगी, तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में दी जा सकती है, कोरम के अभाव में बैठक आधे घण्टे के लिये स्थगित की जावेगी। स्थगित बैठक पुनः उसी दिन पुनः आधे घण्टे बाद होगी। जिसमें न्यूनतम दस सदस्यों की उपस्थिति दो पदाधिकारियों साहित होने पर ही उसी कार्य विवरण पर विचार किया जा सकेगा, कार्यकारिणी के न्यूनतम 11 सदस्यों को लिखित आवेदन कारण सहित आने पर अध्यक्ष/महामंत्री को बैठक अवश्य बुलानी होगी, कार्यकारिणी की बैठक की सभ्यता कार्यवाही (मिनिट्स) पृथक रजिस्टर में लिखी जावेगी, ट्रस्ट का खाता किसी सरकारी राष्ट्रीय बैंक या सहकारी बैंक में खोला जावेगा, बैंक खातों का संचालन महामंत्री एवं अध्यक्ष या कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर से किया जावेगा। अध्यक्ष के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे, कार्यकारिणी में प्रत्येक विषय पर निर्णय बहुमत से होगा किन्तु बराबर मत आने पर सभाध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग कर सकेगा, कार्यकारिणी ट्रस्ट विधान में परिवर्तन, परिवर्द्धन एवं संशोधन को साधारण सभा में स्वीकृत हेतु प्रस्तुत करेगी, कार्यकारिणी ट्रस्ट के सदस्य अथवा पदाधिकारी का निधन, त्याग-पत्र देने अथवा लगातार 3 मीटिंग में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर उसका स्थान रिक्त समझा जावेगा। इस रिक्त स्थान की पूर्ति कार्यकारिणी बहुमत से चयन कर सकती है, कार्यकारिणी ट्रस्ट एवं संस्था के कार्य हेतु चंदा, दान अनुदान सहायता आदि प्राप्त कर सकेगी और अतिआवश्यक कार्य हेतु रकम उधार लेने का कार्य कर सकेगी।

17 पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य

ट्रस्ट की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे:-

**संरक्षक मण्डल:-** ट्रस्ट के कार्यक्षेत्र के विकास में तत्पर रहना, कार्यकारिणी का कार्य असंतोषजनक होने पर, हिसाब के सम्बन्ध में अनिमिततायें तथा अन्य किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जिसके कारण कार्य संचालन में बाधा उपस्थित हो रही हो तो शिरोमणि संरक्षक, परमसंरक्षक, एवं संरक्षक गण, ट्रस्टीगण अपनी कुल सदस्य संख्या का 90 प्रतिशत के बहुमत से कार्यकारिणी को भंग कर सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक, परमसंरक्षक एवं संरक्षकों का मिलकर एक संरक्षक मण्डल माना जावेगा।

**अध्यक्ष:-** स्वयं एवं कोषाध्यक्ष/महामंत्री के संयुक्त हस्ताक्षर से बैंक खाते संचालित करना, कार्यकारी अध्यक्ष, महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष से मिलकर ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करना, ट्रस्ट का हिसाब-किताब सुचारु रूप से रखना तथा बैठक में प्रस्तुत करना, ट्रस्ट का हिसाब ऑडिट कराना, कार्यकारी अध्यक्ष से मिलकर कार्य करना, ट्रस्ट पर अनुशासन रखना, क्षेत्र के हित में 50 हजार रुपये तक खर्च करने का अधिकार रहेगा। लेकिन इस खर्च को अगली बैठक में कार्यकारिणी से स्वीकृत कराना, कार्यकारी अध्यक्ष, एवं महामंत्री से मिलकर कानूनी (न्यायालयीन) कार्यवाही करना एवं करवाना।

**कार्यकारी अध्यक्ष:-** अध्यक्ष के प्रत्येक कार्य में सहयोग करना और अध्यक्ष की अनुपस्थिति रिक्त होने पर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा। पर उनकी अनुपस्थिति में स्वयं के द्वारा अध्यक्ष के अधिकारों एवं कर्तव्यों का पालन करना, प्रदत्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना, निर्माण आदि कार्यों की देख-रेख करना एवं अध्यक्ष/महामंत्री की सलाह से करना एवं करवाना, कर्मचारियों का अनुशासन में रखना, हिसाब-किताब आदि अन्य व्यवस्थाओं पर निगरानी रखना, क्षेत्र पर आयक-जावक सामग्री का ध्यान रखना, क्षेत्र का स्टॉक रजिस्टर तैयार करना, अध्यक्ष अथवा महामंत्री में से किसी एक के संयुक्त हस्ताक्षर के बिल पास कर सकता है। अध्यक्ष एवं महामंत्री से मिलकर कार्य करना, आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्र के हित में 25000/- रुपये तक व्यय सकता है।

**उपाध्यक्ष:-** अध्यक्ष एवं कार्यकारी अध्यक्ष के प्रत्येक कार्य में सहयोग करना और उनकी अनुपस्थिति में स्वयं के द्वारा दोनों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का पालन करना, प्रदत्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना।

**महामंत्री:-** समय-समय पर नियमानुसार साधारण सभा एवं कार्यकारिणी के अधिवेशन और बैठकों बुलाना एवं उनके कार्यक्रम निर्धारित करना; अधिवेशनों एवं बैठकों की कार्यवाही पृथक-पृथक रजिस्ट्रों में लिखना एवं रिकार्ड संभालना, ट्रस्ट के आय-व्यय पर नियंत्रण करना, ट्रस्ट के कर्मचारियों पर नियंत्रण करना। उनके वेतन, यात्रा बिल पास करना तथा विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष एवं कार्यकारी अध्यक्ष की सहमति से समिति के कर्मचारियों की अस्थाई नियुक्ति करना। नियुक्ति की पुष्टि अगली कार्यकारिणी की बैठक में करवाना अनिवार्य होगा, ट्रस्ट के आदेशानुसार उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्वयं अथवा अध्यक्ष की सलाह से कानूनी कार्यवाही करना व करवाना, आवश्यक पत्र व्यवहार करना, ट्रस्ट की चल व अचल संपत्ति की देखभाल व सुरक्षा करना, ट्रस्ट द्वारा पारित प्रस्तावों को मूर्त रूप देना, आवश्यकता पड़ने पर अपने अधिकार के एक मुश्त 50 हजार रुपये तक संस्था के कार्यों के लिये व्यय करना। इसके बाद आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष अथवा कोषाध्यक्ष की सहमति से क्षेत्र के हित में यथायोग्य व्यय करना, समिति का नया कार्यवर्ष आरंभ होने से पूर्व वार्षिक बजट तैयार कर प्रस्तुत करना, ट्रस्ट का हिसाब कोषाध्यक्ष के सहयोग से अंकेक्षित करवाना, समय-समय पर समिति की रिपोर्ट समिति द्वारा पास कराकर उसको प्रकाशित करवाना, ट्रस्ट के कार्यक्षेत्र की उन्नति एवं विकास के लिये सतत् प्रयत्नशील रहना, 25 सदस्य के अथवा कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित पत्र आने पर नियमानुसार अनिवार्य रूप से साधारण सभा बुलाना तथा न्यूनतम कार्यकारिणी के 11 सदस्यों के हस्ताक्षरित लिखित पत्र आने पर नियमानुसार कार्यकारिणी समिति की सभा बुलाना, अपने कोषाध्यक्ष एवं अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से बैंक खाता संचालित करना, अध्यक्ष से मिलकर कानूनी (न्यायालयीन) कार्यवाही करना एवं करवाना, यदि विधि एवं सलाहकर मंत्री अदालती कार्यवाही संस्था के अनुकूल करें इसकी देखभाल करना एवं आवश्यकता होने पर उन्हें बदलने का प्रस्ताव/सूचना कार्यकारिणी को देना।

**कोषाध्यक्ष:-** वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना, दैनिक लेखों पर नियंत्रण करना, आय-व्यय का पूर्णरूपेण नियमानुसार व्यवस्थित रूप से हिसाब रखना इस हेतु समस्त अभिलेख, व्हाउचर आदि विधिवत सम्पादित करना, चंदा, दान, अनुदान, सहायता एवं सदस्यता शुल्क आदि प्राप्त कर अपने हस्ताक्षर से समिति की रसीद देना, आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष, महामंत्री तथा अन्य पदाधिकारियों को अतिरिक्त चैक, व्यवस्था द्वारा राशि देना तथा आदेशानुसार अन्य भुगतान करना, स्वयं के पास अधिकतम 10,000/- रुपये रखते हुये शेष राशि बैंक में जमा करना, वार्षिक हिसाब तैयार कर महामंत्री के सहयोग से अंकेक्षक के अंकेक्षण करवा कर महामंत्री को प्रेषित करना, अपने एवं अध्यक्ष अथवा महामंत्री के संयुक्त हस्ताक्षर से बैंक खाता संचालित करना, अन्य प्रदत्त कार्य संपन्न करना, आवश्यकता पड़ने पर अपने अधिकार से एक मुश्त 25,000/- रुपये तक खर्च करना। इसके बाद अध्यक्ष अथवा महामंत्री की सहमति से क्षेत्र के हित में व्यय करना।

**मंत्री:-** महामंत्री को अपने कर्तव्यों के पालन में सहयोग करना और उसकी अनुपस्थिति में स्वयं के द्वारा महामंत्री के अधिकारों एवं कर्तव्यों का पालन करना, अन्य प्रदत्त कार्य संपन्न करना।

**आंतरिक लेखा निरीक्षक:-** ट्रस्ट के सभी आय-व्यय विवरण बैलेंस शीट, बजट आदि का हिसाब समय-समय पर पूरी तरह से जांच कर रिपोर्ट देना तथा चार्टर्ड अकाउण्टेंट से हिसाब जांच कराने के लिये समस्त लेखे वाउचर्स आदि तैयार कर भेजना

18 संस्था का कोष

:- संस्था का कोष निम्न प्रकार संचित होगा:- 01. दान, 02. शुल्क, 03. अनुदान 04. सहायता, 05. राजकीय अनुदान 06. ध्रुवकाण्ड।

उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीय बैंक या सहकारी बैंक में सुरक्षित रखी जावेगी। अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक खाता खोला जावेगा। और इनमें से किन्हीं दो के हस्ताक्षरों से बैंक से लेन-देन सम्भव होगा। किन्हीं दो में से अध्यक्ष के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे, ट्रस्ट के स्थाई ध्रुवफण्ड की मूल राशि को ट्रस्ट द्वारा व्यय नहीं किया जा सकेगा तथा न ही इन स्थाई ध्रुवफण्डों की राशि पर बैंकों से ऋण लिया जावेगा। मात्र स्थाई ध्रुवफण्ड के ब्याज को बैंक से निकाल कर क्षेत्र की समुचित व्यवस्था हेतु ट्रस्ट द्वारा खर्च किया जा सकेगा।

- 19 संस्था का अंकेक्षण :- संस्था के समस्त लेखे-जोखे का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा।
- 20 संस्था के विधान में परिवर्तन :- संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार परिवर्तन साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो मध्यप्रदेश ट्रस्ट एक्ट की धारा.....के अनुरूप होगा।
- 21 संस्था का विघटन :- यदि विघटन आवश्यक हुआ तो श्री दिगम्बर जैन आचार्य श्री विद्यासागर गौशाला ट्रस्टकी समस्त चल व अचल संपत्ति एवं जमीन जायदाद, फर्नीचर, वर्तन, उपकरण आदि अन्य संपत्तियां जो वर्तमान में हैं और आगे प्राप्त होंगी उन सबका स्वत्व अधिकार ट्रस्ट में ही निहित होगा एवं मुनिश्री 108 विशद सागर जी महाराज या जो मुनिश्री उनकी परंपरा को आगे बढ़ायेंगे द्वारा निर्देश का पालन करना होगा।
- 22 संस्था के लेखे-जोखे का निरीक्षण :- रजिस्ट्रार संस्थायें मध्यप्रदेश को संस्था के निरीक्षण का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिया गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।
- 23 विविध :- ट्रस्ट द्वारा निर्माण कार्य धार्मिक भावनाओं के आधार पर किया जावेगा। इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति का प्रवेश निषेध रहेगा। समिति क्षेत्र एवं क्षेत्र की आम्नाय तथा क्षेत्र से संबंधित संस्थाओं में किसी प्रकार के मतभेद होने पर अथवा अन्य सभी परिस्थितियों में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज या इनके परम्परा शिष्य इन संस्थाओं के सम्प्रेरक 108 मुनि श्री विशद सागर जी महाराज या इनकी समाधि उपरांत जो भी मुनि इस परंपरा को आगे बढ़ायेंगे का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

अतएव सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस आचार्य श्री विद्यासागर गौशाला ट्रस्ट गंजबासौदा जिला विदिशा के पंजीयन में जिस व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से एक माह के अंदर इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा ट्रस्ट पंजीयन की विधिवत आगामी कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। प्रकरण में सुनवाई दिनांक 13/04/2022 नियत है।

आज दिनांक 14 / 05 / 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

रोशन राय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(G-471)

न्यायालय, पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

(नियम पाँच-1 देखिये)

(मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत)

प्र.क्र..... बी-113-2021-22.

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यास के पंजीयन बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष महानुभाव पंथी श्रीदत्त मंदीर ट्रस्ट महाजन कॉलोनी मोहम्मदपुरा, बुरहानपुर, के द्वारा अध्यक्ष भुरेलाल पिता लक्ष्मण महाजन निवासी वार्ड क्रं. 38 रास्तीपुरा बुरहानपुर, का लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए " लोक न्यास " के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 8 फरवरी 2020 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जावेगा.

### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता संपत्ति का विवरण)

1. महानुभाव पंथी श्रीदत्त मंदीर ट्रस्ट महाजन कॉलोनी मोहम्मदपुरा बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर.
2. वर्किंग ट्रस्टी अध्यक्ष- भुरेलाल पिता लक्ष्मण महाजन निवासी- वार्ड क्रं. 38 रास्तीपुरा बुरहानपुर.
3. चल सम्पत्ति : 10000/-.
4. अचल सम्पत्ति : ग्राम मोहम्मदपुरा तहसील व जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश में स्थित पुराना खसरा नंबर 282/3 कुल रकबा 0.800 हैक्टर नया खसरा नंबर 282/3/1 रकबा 0.7936 हैक्टर में का पैकी रकबा 1622 वर्गफीट पर प्राचीन मंदिर बना हुआ है. जिसमें भक्तगण श्रद्धालु कई वर्षों से पूजा अर्चना, भजन व संत्सग करते चले आ रहे हैं.

जारी दिनांक 9 फरवरी 2022

के. आर. बडोले, पंजीयक.

(G-472)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी, लोक न्यास, लखनादौन, जिला सिवनी

प्ररूप-क.-4

(देखिए नियम-5 (1) )

सूचना पत्र

(मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम,1951 की धारा-30 की धारा 5 की उपधारा-2 और (मध्यप्रदेश) लोक न्यास नियम,1962 नियम 5(1)देखिये (पंजीयन)

रा0प्र0क0-2335/बी-121/2019-20

ग्राम-सुभाष वार्ड क.03 लखनादौन,

तहसील-लखनादौन, जिला- सिवनी

लोक न्यास-लखनादौन (सिवनी जिले की संस्था)

—0—

चूंकि "माँ सरस्वती संस्थान" रोटा झील कॉम्पलेक्स लखनादौन दूकान क.04, तहसील लखनादौन, जिला सिवनी में संचालित आवेदक श्री शीत तिवारी पिता श्री बी.डी.तिवारी, निवासी सुभाष वार्ड के.03 लखनादौन, तहसील लखनादौन जिला सिवनी (मध्यप्रदेश) द्वारा पब्लिक ट्रस्ट के रूप में ट्रस्ट का पंजीयन कराने हेतु आवेदन (मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम,1951 की धारा-30 की धारा 4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत के लिये आवेदन किया है ।

अतः मैं, अनुविभागीय अधिकारी,लोक न्यास लखनादौन, जिला सिवनी का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 25 जनवरी 2021 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-1 के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ ।

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचनापत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है,और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा अपने अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

अनुसूची

ट्रस्ट की चल-अचल सम्पत्ति ट्रस्ट के नाम रहेगी,

नाम व पता - "माँ सरस्वती संस्थान" रोटा झील कॉम्पलेक्स दूकान क. 04 लखनादौन, तहसील लखनादौन जिला सिवनी । (न्यास का उदगम एवं स्वरूप- रोटा झील कॉम्पलेक्स दूकान क. 04 लखनादौन, तहसील लखनादौन जिला सिवनी )

(आज दिनांक को इशतहार मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा द्वारा जारी)

जारी दिनांक 28 फरवरी 2022

सुनवाई दिनांक 29 मार्च 2022

सिद्धार्थ जैन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(G-473)



न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, लोक न्यास, नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश  
नरसिंहगढ़, दिनांक 09 मार्च 2022

[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5(1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1952 के नियम 5(1) के अंतर्गत ]

सक्षम रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़.

क्रमांक 583-प्रवाचक-1-2022.- आवेदक श्री नानकराम यादव आदि निवासी ग्राम नून्याहेडी, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम की धारा-4 के तहत आवेदन-पत्र पेश कर श्री हनुमान झण्डा समिति-नून्याहेडी का न्यास के पंजीयन कराने हेतु संलग्न सूची अनुसार दर्शाई गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक ..... को विचार में लिया जाएगा. कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपने लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपयुक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा.

### अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	:	श्री हनुमान झण्डा समिति-नून्याहेडी.
कार्यालय का पता	:	श्री हनुमान झण्डा समिति-नून्याहेडी, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़.
अचल सम्पत्ति	:	40X20=800 वर्गफिट भू-खण्ड.
चल सम्पत्ति	:	—

अमन वैष्णव, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(G-474)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास अधिकारी, डॉ. अम्बेडकर नगर, महु, जिला इन्दौर

महु, दिनांक .....

प्रारूप-तृतीय

[नियम 5(1) देखिये]

(मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोकन्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत)

प्र. क्र. 02-बी-113(1)-2021-22.-एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक, डॉ. अम्बेडकर नगर महु, जिला इन्दौर के समक्ष यह कि आवेदक प्रबंधक "मीना रूचि चेरिटेबल फाउन्डेशन ट्रस्ट" का लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 22 मार्च 2022 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसार के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा :-

## अनुसूची

(लोक न्यास का नाम व पता व लोक न्यास की चल-अचल सम्पत्ति का विवरण)

- |    |                  |   |  |
|----|------------------|---|--|
| 1. | लोक न्यास का नाम | : | मीना रूचि चेरिटेबल फाउन्डेशन ट्रस्ट.     |
| 2. | पता              | : | 106 सी, लुनियापुरा गुप्ता कम्पाउण्ड महु. |
| 3. | चल सम्पत्ति      | : | कुछ नहीं.                                |
| 4. | अचल सम्पत्ति     | : | कुछ नहीं.                                |

(G-475)

अक्षत जैन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं सार्वजनिक न्यास, पंजीयक, जिला दमोह, मध्यप्रदेश

प्रारूप क्र. 04

(देखे नियम 5(1))

राजप्र0क्र0 05/च-113(1)/2021-22

सूचना पत्र

(मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) के द्वारा)

लोक न्यासों के पंजीयक दमोह जिला दमोह के समक्ष

यतः श्रीमति माया देवी राजपूत पत्नि मथुरा प्रसाद राजपूत निवासी दर्पण कॉलोनी ग्वालियर के द्वारा लोक न्यास अधिनियम की धारा 4 अंतर्गत एक आवेदन पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद् द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है, कि कथित आवेदन पर दिनांक 02.04.2022 को 02:00 बजे मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा।

अनुसूची:-

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

मां नर्मदा परिक्रमा एवं जागेश्वरधाम कांवर यात्री सेवा ट्रस्ट

मौजा हिण्डोरिया तहसील व जिला दमोह खसरा नंबर 1461, 1469/1, 1470, 1471/1 कुल रकवा 3.62

गगन बिसेन पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(G-476)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, मझगंवा, जिला सतना (म.प्र.)

प्रारूप क्रमांक-5

[देखें नियम-5 (1)]

(मध्यप्रदेश लोक अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5(1) के द्वारा)

लोक न्यासों के पंजीयक मझगंवा जिला के समक्ष.

अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है.

अब इसलिए मैं, प्रभाशंकर त्रिपाठी, लोक न्यासों का पंजीयक मझगंवा जिला मेरे न्यायालय में 2022 के ..... के 15 मार्च 2022 दिवस पर कथित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में यथाअपेक्षित, मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ.

एतद्वारा सूचना पत्र दिया गया है कि कथित न्यास या संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः या प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा :-

### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

1. न्यास का नाम व पता : " श्री विजय हनुमार सेवा ट्रस्ट "  
जिला सतना, मध्यप्रदेश, वार्ड नं. 12, कृषि फार्म के पास,  
रजौला चित्रकूट, तहसील मझगंवा, जिला सतना, मध्यप्रदेश.
2. चल सम्पत्ति : 11,000/- रुपये.
3. अचल सम्पत्ति : निरंक

प्रभाशंकर त्रिपाठी, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(G-477)

## अन्य सूचनाएं

कार्यालय, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 15 फरवरी, 2022

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

करैया, तह. सागर, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-247.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करैया, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1344, दिनांक 04 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करैया, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयवधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-478)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

शिकारपुर, तह. राहतगढ़, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-248.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शिकारपुर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1346, दिनांक 04 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी

सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शिकारपुर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-479)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

रामपुर, तह. रहली, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-249.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रामपुर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1349, दिनांक 04 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रामपुर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-480)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

बेरखेड़ी गोपाल, तह. राहतगढ़, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-250.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेरखेड़ी गोपाल, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1353, दिनांक 04 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेरखेड़ी गोपाल, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयविधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-481)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

भैंसा, तह. राहतगढ़, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-251.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भैंसा, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1356, दिनांक 04 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी

सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करैया, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-482)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

सहजपुर, तह. केसली, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-253.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सहजपुर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1359, दिनांक 03 अगस्त, 2011 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सहजपुर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-483)

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

हंसरई, तह. जैसीनगर, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-255.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हंसरई, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1365, दिनांक 24 अगस्त, 2011 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हंसरई, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-484)

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

पचपीपरा, तह. राहतगढ़, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-256.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पचपीपरा, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1359, दिनांक 26 अगस्त, 2011 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी



सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करैया, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-485)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

छिरारी, तह. रहली, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-257.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., छिरारी, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1374, दिनांक 28 सितम्बर, 2011 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., छिरारी, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-486)

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,  
दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,  
वंसिया, तह. सागर, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-258.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., वंसिया, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1396, दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., वंसिया, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयविधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-487)

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,  
दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,  
ढगरानिया, तह. राहतगढ़, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-259.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ढगरानिया, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1400, दिनांक 02 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी

सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ढगरानिया, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-488)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

चन्द्रापुर, तह. राहतगढ़, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-260.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चन्द्रापुर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1401, दिनांक 02 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चन्द्रापुर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-489)

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

सेवन, तह. मालथौन, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.—परिसमापन—2022—261.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सेवन, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1406, दिनांक 17 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.—29—क्षे.सं.—F. No.-120—बु.सं.दु.सं.—2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सेवन, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-490)

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

बरखेड़ी खुर्द, तह. सागर, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.—परिसमापन—2022—262.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरखेड़ी खुर्द, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1408, दिनांक 17 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी

सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरखेड़ी खुर्द, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-491)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

चनौआ खुर्द, तह. गढ़ाकोटा, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-263.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चनौआ खुर्द, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1411, दिनांक 03 फरवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चनौआ खुर्द, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-492)

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

बरोदिया बल्लभ, तह. राहतगढ़, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-264.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरोदिया बल्लभ, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1412, दिनांक 06 फरवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरोदिया बल्लभ, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयवाधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-493)

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

जरारा, तह. गढ़ाकोटा, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-265.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जरारा, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1413, दिनांक 03 फरवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी

सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जरारा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयवधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-494)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

ईशुरवारा, तह. राहतगढ़, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-266.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ईशुरवारा, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1416, दिनांक 03 फरवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ईशुरवारा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयवधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-495)

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

नरयावली, तह. राहतगढ़, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-267.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नरयावली, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1417, दिनांक 22 फरवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नरयावली, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयविधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-496)

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

पड़रिया, तह. सागर, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-268.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पड़रिया, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1420, दिनांक 22 फरवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी



सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पड़रिया, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।  
(G-497)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

पगारा, तह. सागर, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-269.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पगारा, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1423, दिनांक 02 मार्च, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि I के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पगारा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।  
(G-498)

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,  
दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,  
कानीखेड़ी, तह. शाहगढ़, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-270.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कानीखेड़ी, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1429, दिनांक 20 अप्रैल, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कानीखेड़ी, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयविधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-499)

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,  
दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,  
सासा, तह. शाहगढ़, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-271.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सासा, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1438, दिनांक 20 अप्रैल, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी

सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सासा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-500)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

रीछई, तह. शाहगढ़, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-272.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रीछई, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1443, दिनांक 22 जून, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रीछई, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-501)

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

बमनौरा, तह. शाहगढ़, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-273.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बमनौरा, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1448, दिनांक 22 जून, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बमनौरा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-502)

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

मदनतला, तह. शाहगढ़, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-274.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मदनतला, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1450, दिनांक 28 जून, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी

सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मदनतला, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-503)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

कासलपिपरिया, तह. रहली, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-275.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कासलपिपरिया, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1481, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कासलपिपरिया जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-504)

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

सिंगारचौरी, तह. जैसीनगर, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-276.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिंगारचौरी, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1483, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिंगारचौरी, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-505)

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

भौहारी, तह. सागर, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-277.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भौहारी, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1490, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी

सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भौहारी, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-506)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

सेमराघौना, तह. जैसीनगर, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-278.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सेमराघौना, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1492, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सेमराघौना, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-507)

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

पटना बुजुर्ग, तह. रहली, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-279.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पटना बुजुर्ग, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1493, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पटना बुजुर्ग, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयविधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-508)

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

सागौनी खुर्द, तह. जैसीनगर, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-280.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सागौनी खुर्द, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1495, दिनांक 21 अगस्त, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी



सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सागौनी खुर्द, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-509)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

अगरा, तह. सागर, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-281.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अगरा, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1498, दिनांक 21 अगस्त, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अगरा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-510)

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,  
दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,  
ढकरई, तह. जैसीनगर, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-282.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ढकरई, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1500, दिनांक 21 अगस्त, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ढकरई, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-511)

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,  
दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,  
मढ़िया अग्रसेन, तह. रहली, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-283.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मढ़िया अग्रसेन, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1501, दिनांक 21 अगस्त, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी

सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मढ़िया अग्रसेन, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-512)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

जलंधर, तह. राहतगढ़, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-284.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जलंधर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1504, दिनांक 13 अक्टूबर, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जलंधर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-513)

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,  
दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,  
बरबट्टू, तह. खुरई, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-285.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरबट्टू, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1505, दिनांक 13 अक्टूबर, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरबट्टू, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयविधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-514)

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,  
दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,  
बसियाभौती, तह. राहतगढ़, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-286.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बसियाभौती, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1506, दिनांक 13 अक्टूबर, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी

सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बसियाभौती, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-515)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

लुहरा, तह. राहतगढ़, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-287.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लुहरा, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1508, दिनांक 13 अक्टूबर, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लुहरा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-516)

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

खैराई, तह. देवरी, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-288.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खैराई, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1509, दिनांक 13 अक्टूबर, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खैराई, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयविधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-517)

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

हिनौता पारीक्षत, तह. सागर, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-289.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हिनौता पारीक्षत, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1511, दिनांक 13 अक्टूबर, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी

सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हिनौता पारीक्षत, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-518)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

कठेली, तह. खुरई, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-290.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कठेली, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1532, दिनांक 01 फरवरी, 2016 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कठेली, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-519)

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

बम्होरी नवाब, तह. खुरई, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-291.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बम्होरी नवाब, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1533, दिनांक 01 फरवरी, 2016 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बम्होरी नवाब, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयवाधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-520)

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

ग्वारी, तह. खुरई, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-292.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ग्वारी, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1535, दिनांक 01 फरवरी, 2016 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी



सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ग्वारी, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-521)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

पिपरिया गोपाल, तह. रहली, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-293.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिपरिया गोपाल, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1536, दिनांक 01 फरवरी, 2016 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिपरिया गोपाल, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-522)

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

अगरा, तह. शाहगढ़, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-294.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अगरा, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1540, दिनांक 31 मार्च, 2016 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अगरा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयविधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-523)

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

विदवासन, तह. मालथौन, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-295.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., विदवासन, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1549, दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी

सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., विदवासन, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-524)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

करैया गूजर, तह. खरई, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-296.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करैया गूजर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1550, दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करैया गूजर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-525)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

कालीपठार, तह. राहतगढ़, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-297.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कालीपठार, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1557, दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कालीपठार, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयविधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-526)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

उजनेट, तह. खुरई, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-298.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उजनेट, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1557, दिनांक 28 मार्च, 2017 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी

सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उजनेट, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-527)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

खटौराकलां, तह. खुरई, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-299.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खटौराकलां, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1560, दिनांक 28 मार्च, 2017 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खटौराकलां, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-528)

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

मड़ावनमार, तह. खुरई, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-300.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मड़ावनमार, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1565, दिनांक 28 मार्च, 2017 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मड़ावनमार, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयविधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-529)

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

रेगुवां, तह. गढ़ाकोटा, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-301.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रेगुवां, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1576, दिनांक 21 मार्च, 2018 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी

सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रेगुवां, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-530)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

मुड़िया देहरा, तह. बीना, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-302.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मुड़िया देहरा, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1588, दिनांक 28 मार्च, 2018 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मुड़िया देहरा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-531)

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

विल्धव, तह. बीना, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-303.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., विल्धव, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1590, दिनांक 28 मार्च, 2018 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., विल्धव, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयवधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-532)

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

गिरोल, तह. बीना, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-304.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गिरोल, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1591, दिनांक 28 मार्च, 2018 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी



सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गिरोल, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-533)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

ढाड़, तह. बीना, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-305.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ढाड़, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1600, दिनांक 28 मार्च, 2018 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ढाड़, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-534)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

सींगना, तह. सागर, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-306.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सींगना, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1601, दिनांक 28 मार्च, 2018 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्ष.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सींगना, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-535)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

भबूकावारी, तह. राहतगढ़, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-307.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भबूकावारी, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1602, दिनांक 28 मार्च, 2018 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी

सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भबूकावारी, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयवधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-536)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

सांवलखिरिया, तह. गढ़ाकोटा, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-308.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सांवलखिरिया, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1605, दिनांक 28 मार्च, 2018 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सांवलखिरिया, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयवधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-537)

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,  
दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,  
जरियाखिरिया, तह. गढ़ाकोटा, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-309.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जरियाखिरिया, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1606, दिनांक 28 मार्च, 2018 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जरियाखिरिया, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-538)

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,  
दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,  
भानगढ़, तह. बीना, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-310.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भानगढ़, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1607, दिनांक 28 मार्च, 2018 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भानगढ़, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-539)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

लेटवास, तह. मालथौन, जिला सागर (म. प्र.)

क्र.-परिसमापन-2022-311.-कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लेटवास, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1608, दिनांक 28 मार्च, 2018 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार :-

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.-29-क्षे.सं.-F. No.-120-बु.सं.दु.सं.-2022, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारंभ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लेटवास, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-540)

परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार.

## कार्यालय, परिसमापक एवं प्रबन्धक, सहकारी संस्थायें, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

[म.प्र. सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम 57(सी/ग) के अंतर्गत]

दिनांक 28 जनवरी 2022

क्र.-परिसमापन-क्यू.- कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला खण्डवा द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत आदेश क्रमांक-परिसमापन-2022-64, दिनांक 18 जनवरी 2022 से मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, रणगोंव	2216 / 14-03-2013	64 / 18-01-2022
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, रिझगोंव	2358 / 06-02-2016	64 / 18-01-2022
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, दगडखेडी	2363 / 06-02-2016	64 / 18-01-2022
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कुमठी	2396 / 10-01-2018	64 / 18-01-2022
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मकडकच्छ	2419 / 10-09-2018	64 / 18-01-2022
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बायफल	2415 / 02-07-2018	64 / 18-01-2022
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, नर्मदानगर	2161 / 15-09-2021	64 / 18-01-2022

अतः मैं, ए.के. दुबे, परिसमापक एवं प्रबन्धक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्रमांक 57 (सी/ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे कार्यालय, दुग्ध संयंत्र अवस्थी चौक, खण्डवा में लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेगें तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा, उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति-सदस्यों-भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास उक्त समितियों की कोई लेखा पुस्तक, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियाँ अथवा कोई भी सामान या रेकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अंदर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें. अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समिति का रेकार्ड होने की जानकारी मिलती है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

ए.के. दुबे, परिसमापक.

(G-541)

## कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन जिला उज्जैन

[म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

उज्जैन, दिनांक 10 जनवरी 2022

क्र.-परि-2022-66.- कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-1969 उज्जैन दिनांक 21 सितम्बर 2021 द्वारा श्री नाथ बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित शंकरखेड़ी, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 2131 दिनांक 4 अगस्त 2015 को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री बी. एल. सोलंकी पद सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला उज्जैन म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 जनवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-542)

ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक

## कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

[म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1962 के नियम 57 सी के अंतर्गत]

खरगोन, दिनांक 14 फरवरी 2022

क्र.-परिसमापन-2022-क्यू.- कार्यालय उपपंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला खरगोन के द्वारा म.प्र. सहकारी संस्थाएँ अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी को धारा 70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है.

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	माँ रेवा उद्वहन सिंचाई सह. संस्था मर्या. डोगरगांव.	1046/दिनांक 24-5-1996	761/दिनांक 18-6-14
2.	माँ अम्बिका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. खरगोन.	1713/दिनांक 10-3-14	1327/दिनांक 31-10-14
3.	निमाड़ बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. खरगोन.	476/दिनांक 15-3-2003	1309/दिनांक 30-10-15
4.	तेल उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. खरगोन	622/दिनांक 26-06-1950	4383/दिनांक 24-08-71
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. बिस्टान	1625/दिनांक 17-10-12	708/दिनांक 19-07-2021

सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना

निकल रहा है। वह इस विज्ञापित प्रकाशित होने के 2 माह (60 दिवस) के अंदर अपने दावे, मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करे उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किन्हीं व्यक्तियों संस्था/भूतपूर्व सदस्यों पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से संबंधित कोई लेखा पुस्तक चल/अचल संपत्ति अन्य कोई सामान हो तो इन सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अंदर संबंधित परिसमापक को प्रस्तुत करे व रसीद प्राप्त करें। अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीज होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी। जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सूचना आज दिनांक 14 फरवरी 2022 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी की गई।

एच. सी. यादव, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

(G-543)

[म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अंतर्गत]

खरगोन, दिनांक 2 मार्च 2022

क्र.-परिसमापन-2022-क्यू-1.- कार्यालय उपपंजीयक (प्रशासक) सहकारी संस्थाएँ, जिला खरगोन के द्वारा म.प्र. सहकारी संस्थाएँ अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा 70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है।

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	जगदंबा म. औद्योगिक सह संस्था मर्या. जैतापुर	405/दिनांक 27-11-1992	474/दिनांक 28-2-2002
2.	वक्ष सहकारी संघ मर्या खरगोन	851/दिनांक 28-11-1991	1659/दिनांक 31-11-2004
3.	सूत मिल कर्म. साख सह. संस्था मर्या., खरगोन	1153/दिनांक 6-10-1997	1099/दिनांक 27-07-2010
4.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था. मर्या कदवाली	1464/दिनांक 21-10-2005	708/दिनांक 19-7-2021

सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है। वह इस विज्ञापित प्रकाशित होने के 2 माह (60 दिवस) के अंदर अपने दावे, मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करे उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन समक्ष अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किन्हीं व्यक्तियों संस्था सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से संबंधित कोई लेखा पुस्तक चल/अचल संपत्ति अन्य कोई सामान हो तो इन सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अंदर संबंधित परिसमापक को प्रस्तुत करे व रसीद प्राप्त करें। अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीज होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी। जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सूचना आज दिनांक 2 मार्च 2022 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी की गई।

कैलाश वास्कले, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(G-544)



## कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 14 जनवरी 2022

क्र.-परिसमापन-2022-81 .- प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से कॉलम 02 में वर्णित संस्थाओं के पूर्व प्रसारित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए कालम क्रमांक 06 के नियुक्त परिसमापकों के स्थान पर कॉलम क्रमांक 07 अनुसार परिसमापक नियुक्त किया जाता है. नवनियुक्त परिसमापक संस्था की नियमानुसार कार्यवाही पूर्णकर एक माह में संस्था का अंतिम प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे.

क्र.	परिसमापकीन सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन/दिनांक	तहसील	परिसमापन आदेश क्र./दिनांक	पूर्व नियुक्त किये गये परिसमापक का नाम	वर्तमान में नियुक्त किये गये परिमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	अरिहंत आपसेफ प्रेस, सह. खरगोन	05/22-10-2010	खरगोन	1327/31-10-2014	श्री बी.एल. सोलंकी स.वि.अ.	श्रीमती अनिता राठौर स.नि.
2.	जगदम्बा महिला, औद्योगिक सह. जैतापुर	405/27-11-1992	खरगोन	474/28-02-2002	श्री बी.एस. सोलंकी स.वि.अ.	श्री कैलाश वास्कले व.स.नि.
3.	वक्ष सह. संघ खरगोन	851/28-11-1991	खरगोन	1659/31-11-2004	श्री बी.एस. सोलंकी स.वि.अ.	श्री कैलाश वास्कले व.स.नि.
4.	माँ अंबिका बीज उत्पा. सह संस्था खरगोन	1713/10-04-2014	खरगोन	1327/31-10-2014	श्री बी.एस. सोलंकी स.वि.अ.	श्री हुकुम यादव उप. अंके.
5.	निमाड बीज उत्पा. सह संस्था खरगोन	476/15-3-2022	खरगोन	1309/31-10-2015	श्री बी.एस. सोलंकी स.वि.अ.	श्री हुकुम यादव उप. अंके.
6.	तेल उत्पा. सह. संस्था मर्या. खरगोन	622/26-06-1950	खरगोन	4383/24-08-1971	श्री बी.एस. सोलंकी स.वि.अ.	श्री हुकुम यादव उप. अंके.
7.	सूतमिल कर्मचारी सह साख संस्था खरगोन	1153/06-10-1997	खरगोन	1099/27-07-2010	श्री बी.एस. सोलंकी स.वि.अ.	श्री कैलाश वास्कले व.स.नि.
8.	नागरजी बीज उत्पा. सह. 1892/10-03-2014 समिति मर्या. गोराइया		झिरन्या	1214/19-07-2019	श्री राधेश्याम चौहान उप अंके	संगीता कपील उप अंके.
9.	गंगा बीज उत्पा. सह. संस्था बासवा	1837/10-03-2014	सनावद	659/12-06-2020	श्री राधेश्याम चौहान उप अंके	योगेश शरद उप अंके.
10.	उद्वहन सिंचाई सह. संस्था मर्या. रतनपुर	709/24-09-88	झिरन्या	659/12-06-2020	श्री राधेश्याम चौहान उप अंके	बसंत यादव स.नि.
11.	सृजन साख सह. संस्था मर्या. गोगांव	1886/10-03-2014	गोगांव	1440/11-11-2020	श्री राधेश्याम चौहान उप अंके	योगेश शरद उप अंके.
12.	राज राजेश्वर साख सह. संस्था मर्या. खरगोन	1871/10-03-2014	खरगोन	1434/11-11-2020	श्री राधेश्याम चौहान उप अंके	श्रीमती भारती मण्डलोई व.स.नि.

यह आदेश आज दिनांक 11 जनवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

विनोद कुमार सिंह, उप पंजीयक.

(G-545)

खरगौन, दिनांक 11 जनवरी 2022

क्र.-परिसमापन-2022-30 .- प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से कॉलम क्रमांक 02 में वर्णित संस्थाओं के पूर्व प्रसारित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए कॉलम क्रमांक 06 के नियुक्त परिसमापकों के स्थान पर कॉलम क्रमांक 07 अनुसार परिसमापक नियुक्त किया जाता है. नवनियुक्त परिसमापक संस्था की नियमानुसार कार्यवाही पूर्णकर एक माह में संस्था का अंतिम प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे.

क्र.	परिसमापनाधीन सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन/दिनांक	तहसील	परिसमापन आदेश क्र./दिनांक	पूर्व नियुक्त किये गये परिसमापक का नाम	वर्तमान में नियुक्त किये गये परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	अन्नपूर्णा मायफंड साख सह.संस्था मर्या. खरगोन	1873/10-03-2014	खरगौन	1435/11-11-2020	श्री राधेश्याम चौहान उप अंके	श्रीमती अनिता राठौर स.नि.
2.	श्री व्यंकटेश क्रेडिट को. ऑप. सोसा. लिमि.	1883/10-3-2014	खरगोन	1438/11-11-2020	श्री राधेश्याम चौहान उप अंके	श्रीमती भारती मण्डलोई व.स.नि.
3.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या. कदावली	1464/23-10-2005	भगवानपुरा	708/19-07-2021	श्री राधेश्याम चौहान उप अंके	श्री कैलाश वास्करे व.स.नि.
4.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या.	1615/21-12-2011	भगवानपुरा	708/19-07-2021	श्री राधेश्याम चौहान उप अंके	श्री हुकुम यादव उप अंके.
5.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या.	1677/27-10-2022	खरगोन	708/19-07-2021	श्री राधेश्याम चौहान उप अंके	श्री हुकुम यादव उप अंके.

यह आदेश आज दिनांक 11 जनवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

विनोद कुमार सिंह, उप पंजीयक.

(G-546)

### कार्यालय, परिसमापक, सहकारी समितियां, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

[म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1962 के नियम 57 सी के अंतर्गत]

सीहोर, दिनांक 15 फरवरी 2022

क्र.-परि.-2022-1-क्यू .- उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, जिला सीहोर के आदेश क्रमांक-परि-2022 52-1176-731-403-943-60-1157-43 दिनांक 17 जनवरी 2019 द्वारा निम्न सहकारी संस्थायों को मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पा. सह संस्था खामखेड़ा बैजनाथ	833/दिनांक 22-4-84	52/दिनांक 17-01-19
2.	दुग्ध उत्पा. संस्था मण्डला महोवियाजोपाई	953/दिनांक 6-11-89	1176/दिनांक 16-12-15
3.	दुग्ध उत्पा. संस्था मण्डला आदी	959/दिनांक 6-11-89	731/दिनांक 4-8-15

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	दुग्ध उत्पा. संस्था गोपालपुर	1041 / दिनांक 20-7-94	52 / दिनांक 17-1-19
5.	दुग्ध उत्पा. संस्था श्यामपुर नस. गंज	1455 / दिनांक 22-10-09	403 / दिनांक 22-4-2016
6.	दुग्ध उत्पा. संस्था बड़घाटी	1498 / दिनांक 18-8-10	52 / दिनांक 17-1-2019
7.	दुग्ध उत्पा. संस्था बरखेड़ा देवा	1706 / दिनांक 9-5-13	1176 / दिनांक 16-12-15
8.	दुग्ध उत्पा संस्था पांगरी	1797 / दिनांक 30-9-14	943 / दिनांक 23-7-18
9.	दुग्ध उत्पा संस्था वमूसियापुरा	956 / दिनांक 6-11-89	1176 / दिनांक 6-12-15
10.	दुग्ध उत्पा संस्था शोभाखेड़ी	1019 / दिनांक 29-1-92	60 / दिनांक 14-1-16
11.	दुग्ध उत्पा संस्था मालीखेड़ी	1122 / दिनांक 17-11-98	1157 / दिनांक 22-12-16
12.	दुग्ध उत्पा संस्था भीलखेड़ी वरामद	1526 / दिनांक 13-12-10	43 / दिनांक 14-1-19

अतः मैं, एस. के. पाठक पद सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक सहकारी संस्थाएँ जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक, मध्यप्रदेश सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता है कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावें या आपत्ति या रिकार्ड हों तो वे इस सूचना पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय, पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात् दावें या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था में परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जायेगा.

यह भू सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.  
(G-547)

सीहोर, दिनांक 10 मार्च 2022

क्र.-परिसमापन-2022-1.- उपपंजीयक सहकारी संस्थायें, जिला सीहोर के आदेश क्रमांक-परि-2022 43-52-403-731-1176-731 दिनांक 14 जनवरी 2019 द्वारा निम्न सहकारी संस्थायों को मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध संस्था बैजनाथ (आष्टा)	833 / दिनांक 22-4-84	52 / दिनांक 17-6-19
2.	दुग्ध संस्था मूण्डला महोवा जोलाई	953 / दिनांक 6-11-89	1176 / दिनांक 16-12-15
3.	दुग्ध उत्पा. संस्था मूण्डला आदी (आष्टा)	959 / दिनांक 6-11-89	731 / दिनांक 4-8-15
4.	दुग्ध संस्था गोपालपुर (आष्टा)	1041 / दिनांक 20-7-94	52 / दिनांक 17-1-19

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	दुग्ध संस्था श्यामपुर (नसगंज)	1455 / दिनांक 22-10-09	403 / दिनांक 22-4-2010
6.	दुग्ध संस्था बड़घाटी (आष्टा)	1498 / दिनांक 18-8-10	52 / दिनांक 17-1-2019
7.	दुग्ध संस्था बड़खेड़ा देवा आष्टा	1706 / दिनांक 9-5-13	1176 / दिनांक 16-12-15
8.	दुग्ध संस्था पांगरी आष्टा	1797 / दिनांक 30-9-14	943 / दिनांक 23-7-18
9.	दुग्ध संस्था वमूलियापुरा आष्टा	956 / दिनांक 6-11-89	1176 / दिनांक 6-12-12
10.	दुग्ध संस्था मालीखेड़ी आष्टा	1122 / दिनांक 17-11-98	1157 / दिनांक 22-12-16
11.	हरदोललाला मछुआ संस्था मर्या. बड़नगर (सीहोर)	1736A / दिनांक 26-12-13	403 / दिनांक 22-4-16

अतः मैं, एस. के. पाठक पद सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक सहकारी संस्थाएँ जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक, मध्यप्रदेश सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता है कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावें या आपत्ति या रिकार्ड हों तो वे इस सूचना पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय, पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात् दावें या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था में परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जायेगा.

यह भू सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

एस. के पाठक, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक

(G-548)

### कार्यालय, परिसमापक, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन

[म.प्र. सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्र.-परि.-क्यू-2021

उज्जैन, दिनांक 22 दिसम्बर 2021

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./2403 उज्जैन दिनांक 08.12.2021 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र/दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र/दिनांक
01	प्रभात चर्मकार सहकारी संस्था मर्या0 बडनगर	DR/UJN / 193 / 20.06.1955	3744 / 05.10.2015
02	चर्मकार सहकारी संस्था मर्या0 अमला	DR/UJN / 154 / 22.09.1963	3046 / 29.12.2012
03	चर्मोद्योग सहकारी संस्था मर्या0 उन्हेल	DR/UJN / 186 / 18.10.1963	3046 / 29.12.2012
04	चर्मकार सहकारी संस्था मर्या0 करनावद	DR/UJN / 189 / 15.07.1963	3046 / 29.12.2012
05	चर्मकार सहकारी संस्था मर्या0 सालाखेड़ी	DR/UJN / 17 / 20.02.2007	3046 / 29.12.2012

06	चर्मशोधक सहकारी संस्था मर्या0 पंचौला	DR/UJN / 211 / 25.05.1964	3046 / 29.12.2012
07	चर्मकार सहकारी संस्था मर्या0 रोहिडा	DR/UJN / 199 / 12.11.1963	3046 / 29.12.2012
08	चर्मकार सहकारी संस्था मर्या0 माकडोन	DR/UJN / 179 / 04.04.1963	3046 / 29.12.2012
09	इंदिरा महिला साख संस्था मर्या0 उज्जैन	DR/UJN / 898 / 16.10.1990	1453 / 31.08.2019
10	जय मातादी सह0 संस्था मर्या0 पालकी तह.नागदा	DR/UJN / 2171 / 20.08.2015	1072 / 02.07.2021
11	जय माँ भवानी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या0 हिडी तह0 नागदा	DR/UJN / 2194 / 21.08.2015	1072 / 02.07.2021
12.	जय किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या0 बोरखेडा तह0 नागदा	DR/UJN / 2172 / 20.08.2015	1072 / 02.07.2021
13	जय बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या0 गुडारिया पित्रामल तह0 नागदा	DR/UJN / 2098 / 20.06.2015	1072 / 02.07.2021
14	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या0 झिरन्या तह0 नागदा	DR/UJN / 2278 / 17.11.2015	1072 / 02.07.2021
15	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या0 भाखेडा	DR/UJN / 2252 / 01.10.2015	1072 / 02.07.2021
16	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या0 अनंतखेडी	DR/UJN / 2092 / 20.07.1977	1661 / 04.10.2019
17	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या0 रजला	DR/UJN / 860 / 20.07.1989	1661 / 04.10.2019
18	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या0 बंजारी	DR/UJN / 786 / 28.05.1988	1661 / 04.10.2019
19	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या0 लेकोडा	DR/UJN / 770 / 20.11.1987	1661 / 04.10.2019
20	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या0 किठिया	DR/UJN / 7725 / 13.01.1986	1661 / 04.10.2019
21	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या0 खरखडी	DR/UJN / 8162 / 22.10.1986	1661 / 04.10.2019
22	महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्या0 करेडीमाताजी	DR/UJN / 2077 / 26.05.2015	1661 / 04.10.2019
23	मातृशक्ति बेग निर्माण सह0 संस्था मर्या0 उज्जैन	DR/UJN / 1714 / 31.05.2008	1661 / 04.10.2019

अतः मैं कमल कॉंगले सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, म0प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 एवं म0प्र0 सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचनापत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना देना शेष निकल रहा हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाणपत्र सहित मुझे कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित/सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उक्त रिकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक सूचना आज दिनांक 22.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी की गयी।

कमल कॉंगले, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

**कार्यालय, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश**  
[म.प्र. सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

उज्जैन, दिनांक 27 जनवरी 2022

क्र.-परि.-क्यू-2022.- सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक-परि.-1072 उज्जैन दिनांक 2 जुलाई 2021 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र/दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र/दिनांक
01	आदर्श साख सहकारी संस्था मर्या0 उज्जैन	894 / 10.04.90	266 / 06.02.2008
02	पण्डित दीनदयाल यातायात सहकारी संस्था मर्या. उज्जैन	1671 / 13.04.2005	266 / 06.02.2008
03	ऊँ शिर्डी वासाय साख सहकारी संस्था मर्या0 उज्जैन	37 / 09.05.2003	911 / 15.03.2017
04	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. रूपाखेडी	512 / 29.09.1980	481 / 27.02.2013
05	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. कनासिया	514 / 29.09.1980	481 / 27.02.2013
06	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. माकडोन	515 / 29.09.1980	481 / 27.02.2013
07	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. तिलावद	524 / 24.10.1980	481 / 27.02.2013
08	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. सुमराखेडा	521 / 24.10.1980	481 / 27.02.2013
09	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. ढाबलाहुर्द	523 / 24.10.1980	481 / 27.02.2013
10	जय गुरुदेव बीज सहकारी संस्था मर्या. सामगी	2038 / 08.03.2016	3715 / 28.12.2015
11	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. लेकोडा आजना	2306 / 30.05.2016	
12	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. मेरखेडी	2287 / 05.12.2015	1623 / 05.05.2017
13	सिंचन सहकारी संस्था मर्या. रोहिडा	29 / 13.03.1963	483 / 01.12.1984
14	सिंचन सहकारी संस्था मर्या. डेलची	569 / 24.09.1981	145 / 28.01.2008
15	कुक्कूट पालन सहकारी संस्था मर्या. माकडौन	663 / 16.03.1984	1095 / 24.04.1996
	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. पाट	572 / 19.10.1981	2825 / 23.08.2017

अतः मैं राजेश शेर, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक, म0प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 एवं म0प्र0 सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचनापत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना देना शेष निकल रहा हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाणपत्र सहित मुझे कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित/सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तके, रोकड, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उक्त रिकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक सूचना आज दिनांक 27.01.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी की गयी।

राजेश शेर, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

## कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

[म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

उज्जैन, दिनांक 10 जनवरी 2022

क्र.-परि-2022-65.- कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-1969 उज्जैन दिनांक 21 सितम्बर 2021 द्वारा अम्बिका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित जवासिया सोलंकी, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 2133 दिनांक 4 अगस्त 2015 को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री बी. एल. सोलंकी पद सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला उज्जैन म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 जनवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-551)

उज्जैन, दिनांक 22 दिसम्बर 2021

[म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.-परि-2021-2510.- कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-1065 उज्जैन दिनांक 2 जुलाई 2021 द्वारा शेरपुर बालोद बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित बालोदा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2049 दिनांक 2 फरवरी 2015 को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री विनोद रावल पद उप अंकेशक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला उज्जैन म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 22 दिसम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-552)

उज्जैन, दिनांक 22 दिसम्बर 2021

[म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.-परि-2021-2509.- कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-1065 उज्जैन दिनांक 2 जुलाई 2021 द्वारा जय बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित चौरबासा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2226 दिनांक 12 सितम्बर 2015 को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री विनोद रावल पद उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला उज्जैन म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 22 दिसम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-553)

उज्जैन, दिनांक 22 दिसम्बर 2021

[म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.-परि-2021-2508.- कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-1065 उज्जैन दिनांक 2 जुलाई 2021 द्वारा श्री हनुमान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित जोड़मालकखा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2052 दिनांक 2 फरवरी 2015 को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री विनोद रावल पद उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला उज्जैन म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 22 दिसम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-554)

ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक



## कार्यालय, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

क्र.-परिसमापन-2021-क्यू

उज्जैन, दिनांक 16 नवम्बर 2021

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन (म. प्र.) के आदेश से मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक :	परिवर्तित परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित छड़ावद	511 / 29.09.1980	1184 / 30.03.2017	1517 / 26.09.2020
2	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित पिपलोदा द्वारकाधीश	1035 / 29.09.1992	1524 / 09.07.2013	1517 / 26.09.2020
3	जय किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित डावलासिया	2182 / 20.05.2015	973 / 24.06.2021	--
4	दुर्गा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित बरखेड़ाखूर्द	2300 / 27.10.2016	973 / 24.06.2021	--
5	बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित जगोटी	2050 / 10.02.2015	973 / 24.06.2021	--
6	माँ अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित कड़छा	2012 / 12.01.2015	973 / 24.06.2021	--
7	जिम्मेदार बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित ढाबलाहर्दू	2062 / 16.03.2015	973 / 24.06.2021	--
8	मनकामेश्वर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित नादेड़	2061 / 22.02.2015	973 / 24.06.2021	--
9	महाकाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित बरोटिया	2059 / 25.02.2015	973 / 24.06.2021	--
10	जनता महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित तराना	1690 / 14.07.2006	973 / 24.06.2021	--
11	उमिया बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित कचनारिया	2107 / 17.07.2015	973 / 24.06.2021	--
12	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित बरखेड़ा	578 / 03.04.1982	973 / 24.06.2021	--
13	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित बांसखेड़ी	1997 / 01.01.2015	578 / 25.02.2016	1058 / 01.07.2021
14	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित झिरन्या	2148 / 18.09.2015	578 / 25.02.2016	1058 / 01.07.2021
15	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित नारेलाकलां	1929 / 04.12.2014	737 / 08.03.2016	1058 / 01.07.2021
16	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित उटेसरा	1932 / 04.12.2014	737 / 08.03.2016	1058 / 01.07.2021
17	श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित पंचेड़	1947 / 17.12.2014	742 / 08.03.2016	1058 / 01.07.2021
18	सीतलामाता बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित तुलाहेड़ा	1950 / 19.12.2014	742 / 08.03.2016	1058 / 01.07.2021
19	महाकाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित बिछड़ोदखालसा	1954 / 22.12.2014	742 / 08.03.2016	1058 / 01.07.2021
20	ऊँ गुरुकृपा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित उज्जैनिया	2068 / 27.03.2015	742 / 08.03.2016	1058 / 01.07.2021
21	जय श्री बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित झीतरखेड़ी	2231 / 11.09.2015	2357 / 30.09.2016	1058 / 01.07.2021

अतः मैं जी. के. परसाई, उप अंकेक्षक सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियाँ या अन्य कोई भी सामान अथवा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उपरोक्त रिकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक सूचना आज दिनांक 16 नवम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

जी. के परसाई, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

(G-555)

उज्जैन, दिनांक 27 जनवरी 2022

क्र.-परि-क्यू-2022.- सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक-परि.-1072 उज्जैन दिनांक 02-07-2021 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है :-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्र/दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र/दिनांक
01	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित रानीपुरा	2237 / 29.09.2015	14 / 04.01.2022
02	प्रगतिशील सेनेटरी मार्ट सहकारी संस्था चिकली, जिला-उज्जैन	1558 / 05.05.2001	176 / 25.01.2021
03	मालीखेडी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. मालीखेडी, तह. महिदपुर	2136 / 04.08.2015	2462 / 15.12.2021

अतः मैं आर.बी.कनकने, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक, म0प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 एवं म0प्र0 सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचनापत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना देना शेष निकल रहा हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाणपत्र सहित मुझे कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित/सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तके, रोकड, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो तो इस चर्चा प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उक्त रिकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक सूचना आज दिनांक 27/01/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी की गयी।

(G-556)

आर.बी. कनकने, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

**कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, उज्जैन जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश**

[म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

उज्जैन, दिनांक 01 फरवरी 2022

क्र.-परिसमापन-2022-273.- कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-1657 उज्जैन दिनांक 02 अगस्त 2021 द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित भटेरा, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1836 दिनांक 12 दिसम्बर 2014 को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत सुश्री डॉ निधि भदौरिया पद सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला उज्जैन म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 01 फरवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-557)

उज्जैन, दिनांक 01 फरवरी 2022

क्र-परिसमापन-2022-274.- कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-1653 उज्जैन दिनांक 02 अगस्त 2021 द्वारा जय चम्बल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित परमारखेडी, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 2099 दिनांक 22 जनवरी 2015 को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत सुश्री डॉ निधि भदौरिया पद सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला उज्जैन म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 01 फरवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-558)

उज्जैन, दिनांक 01 फरवरी 2022

क्र-परिसमापन-2022-275.- कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-1071 उज्जैन दिनांक 02 जुलाई 2021 द्वारा राजेश्वरी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित गुढा, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 2173 दिनांक 20 अगस्त 2015 को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री सुरेन्द्र मालवीय पद सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला उज्जैन म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 01 फरवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-559)

उज्जैन, दिनांक 01 फरवरी 2022

क्र-परिसमापन-2022-276.- कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-1071 उज्जैन दिनांक 02 जुलाई 2021 द्वारा माँ आशापुरा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित कालूहेड़ा, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1948 दिनांक 19 दिसम्बर 2015 को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री सुरेन्द्र मालवीय पद सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला उज्जैन म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 01 फरवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-560)

उज्जैन, दिनांक 01 फरवरी 2022

क्र-परिसमापन-2022-277.- कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-1071 उज्जैन दिनांक 02 जुलाई 2021 द्वारा माँ अम्बिका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित मालीखेड़ी, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1983 दिनांक 01 जनवरी 2015 को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री सुरेन्द्र मालवीय पद सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला उज्जैन म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 01 फरवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-561)

उज्जैन, दिनांक 01 फरवरी 2022

क्र-परिसमापन-2022-278.- कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-1071 उज्जैन दिनांक 02 जुलाई 2021 द्वारा माँ बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित शंकरपुरा, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 2193 दिनांक 20 अगस्त 2015 को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री सुरेन्द्र मालवीय पद सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला उज्जैन म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 01 फरवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-562)

उज्जैन, दिनांक 01 फरवरी 2022

क्र-परिसमापन-2022-279.- कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-1074 उज्जैन दिनांक 02 जुलाई 2021 द्वारा श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित पेटलावद, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 2179 दिनांक 20 अगस्त 2015 को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री आर.बी. कनकने पद उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला उज्जैन म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 01 फरवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-563)

उज्जैन, दिनांक 01 फरवरी 2022

क्र-परिसमापन-2022-280.- कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-1074 उज्जैन दिनांक 02 जुलाई 2021 द्वारा महाकाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित नलखेडा, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 2187 दिनांक 20 अगस्त 2015 को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री आर.बी. कनकने पद उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला उज्जैन म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 01 फरवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-564)

उज्जैन, दिनांक 01 फरवरी 2022

क्र-परिसमापन-2022-280.- कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-1706 उज्जैन दिनांक 04 अगस्त 2021 द्वारा चेतना प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1772 दिनांक 24 फरवरी 2012 को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती स्वर्णलता दलाल पद सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला उज्जैन म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 01 फरवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक

(G-565)

## कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 17 फरवरी 2022

[म.प्र. सहकारी सोसायटी नियम 1962 की के नियम 57 सी के अंतर्गत]

क्र.-परि.-2022-क्यू- उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया :-

क्र	संस्था का नाम	तहसील	पंजीयन क्रं	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक
1.	केबट मछुआ सह.समिति. मर्या. गवाखेडा	श्यामपुर	1511 / 09.09.2010	1067 / 27.06.2020
2.	प्रा. मछुआ सह.समिति. मर्या. टिटोरिया	आष्टा	1431 / 31.07.2009	1071 / 27.06.2020
3.	प्रा. भारत मछुआ सह.समिति. मर्या. रसूलपुरा	सीहोर	1496 / 17.08.2010	1059 / 27.06.2020
4.	दुग्ध उत्पादक सह.समिति. मर्या. भमूरा	आष्टा	1849 / 07.12.2016	875 / 08.10.2021
5.	माँ नर्बदा बीज उत्पादक सह.समिति. मर्या. डिमावर	नसरुल्लागंज	1745 / 05.02.2014	874 / 08.10.2021

अतः मै विनय शर्मा पद उप अंकेक्षक सहकारी संस्थाएँ जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओ का परिसमापक, म.प्र सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओ के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयवधि में मुझे कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला सीहोर मे मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, समयवधि पश्चात दावें या आपत्तियो पर कोई विचार नही किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानसार कार्यवाही की जावेगी।

विनय शर्मा, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक.

(G-566)

## कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

[म.प्र. सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 सी के अंतर्गत]

सीहोर, दिनांक 10 मार्च 2022

क्र.-परि.-Q-22 - उपपंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर के आदेश क्रमांक-परि-2021-656 दिनांक 5 अगस्त 2021 एवं क्र.-परि-2021-814 दिनांक 8 अक्टूबर 2021 द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पा. सह संस्था मर्या., खुशामदा	1415/दिनांक 2-01-2009	परि/2018/1036 दिनांक 13-8-2018
2.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., अहमदपुर	1626/दिनांक 27-09-2012	परि/2021/864 दिनांक 8-10-2021

अतः मै, सुनील सक्सेना वरिष्ठ सह. निरीक्षक सहकारी संस्थाएँ जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावें या आपत्ति या रिकार्ड हों तो वे इस सूचना पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयवधि में मुझे कार्यालय, पंजीयक सहकारी

संस्थाएँ, जिला सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था में परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

सुनील सक्सेना, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(G-567)

**कार्यालय, परिसमापक, सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्यादित, दांतगोरा,  
जिला टीकमगढ़**

उज्जैन, दिनांक 7 फरवरी 2022

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 की के नियम 57(ग) के अंतर्गत]

क्र. - परि. 2021 /1853- उप पंजीयक/ सहकारी संस्थाएँ जिला टीकमगढ़ के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

क्र. (1)	सहकारी संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्र. एवं दिनांक (3)	परिसमापक आदेश क्र. /दिनांक (4)
1	सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्यादित दांतगोरा	डी.आर. 08/09-05-1993	1853/17-12-2021

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1962 के नियम क्र. 67 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाम के बटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे, यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे, उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य पदाधिकारी /दावेदार द्वारा सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी, दस्तावेज के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

यह सूचना -पत्र आज दिनांक 07 फरवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया ।

मनोज मनकेले, सहकारी निरीक्षक.

(G-568)

## कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला टीकमगढ़

क्र.-परिसमापन-2021-1853

टीकमगढ़, दिनांक 17 दिसम्बर 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 की के नियम 69(3) के अंतर्गत]

कार्यालय कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/ परिसमापन /2021/1365 टीकमगढ़ दिनांक 15.09.2021 द्वारा सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्यादित दांतगोरा को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया जिसमें त्रुटियां पाई गई जो निम्नानुसार है।

1. संस्था पंजीयन की शर्तों का पालन नहीं कर पा रही है।
2. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है।
3. संस्था के संचालन में सदस्यों की रूचि नहीं है।
4. संस्था के पंजीयन उपरांत युक्ति युक्त समय में अपना व्यवसाय नहीं किया गया है।
5. संस्था का पंजीकृत पते पर बोर्ड नहीं लगाया गया है।
6. संस्था नियमानुसार कार्यकारिणी कमेटी की बैठके निर्धारित समय में बुलाने में असफल रही है।
7. संस्था द्वारा सदस्यता पंजी संधारित नहीं की गई है।
8. संस्था द्वारा अमानत प्राप्त एवं वापिसी पंजी संधारित नहीं की गई है।
9. संस्था द्वारा मजदूरी पंजी संधारित नहीं की गई है।
10. विधिवत खर्च पंजी संधारित नहीं की गई है।
11. खर्च पंजी एवं व्हाउचर पंजी संधारित नहीं की गई है।
12. फसल विक्रय एवं फसल बंटवारा पंजी संधारित नहीं की गई है।
13. अंशपंजी पंजी संधारित नहीं की गई है।
14. सदस्यों को कार्य बंटवारा पंजी (भूमि आबंटन पंजी) संधारित नहीं की गई है।

उक्त कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में सामूहिक कृषि सहकारी समिति दांतगोरा के श्री हरिकिशन रैकवार अध्यक्ष सामूहिक कृषि सहकारी समिति दांतगोरा तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 29.09.2021 को अपना बिन्दुवार/पदवार जबाब प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है।

1. यह कि कारण बताओ सूचना पत्र के लेख अमान्य व अस्वीकार है संस्था पंजीयन की शर्तों का पालन करती है तथा प्रत्येक वर्ष श्रीमान के कार्यालय से संस्था का अंकेक्षण कराया जाता है।
2. कारण बताओ सूचना पत्र के बिन्दु क्रमांक-2 अमान्य व अस्वीकार है संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में सफल रही है। संस्था के समस्त हितग्राही खुश व प्रसन्न है। तथा कार्य करते हुये संस्था को अपने समस्त उद्देश्यों को पूर्ण करना है कुछ उद्देश्य पूर्ण हो गये, और जो शेष है उसे भी संस्था पूर्ण कर लेगी।
3. पद क्रमांक-3 अमान्य व अस्वीकार है संस्था के संचालन में सभी सदस्यों की रूचि है तथा सभी सदस्य सहकारिता के नियमों के अनुसार कार्य करते हैं तथा सहयोग करते हैं।
4. पद क्रमांक-4 में लेख अमान्य व अस्वीकार है संस्था के पंजीयन उपरांत युक्ति युक्त समय में अपना व्यवसाय किया है तथा अपने उद्देश्यों में सफल रही है।
5. पद क्रमांक-5 में लेख अमान्य व अस्वीकार है पंजीकृत संस्था के पते पर बोर्ड लगा हुआ है।
6. पद क्रमांक -6 के लेख अमान्य व अस्वीकार है संस्था द्वारा नियमानुसार कार्यवाही बैठके की गई है प्रस्ताव रजिस्टर एवं बैठको की छायापति जबाब के साथ संलग्न है।



7. पद क्रमांक-7 यह कि कारण बताओ सूचना पत्र के लेख पद क्रमांक-07 के लेख अमान्य व अस्वीकार है संस्था द्वारा सदस्यता सूची नहीं बनाई गई है संस्था पंजी संलग्न है।
8. पद क्रमांक-08 के लेख अमान्य व अस्वीकार है संस्था द्वारा अमानत एवं वापिसी पंजी अलग से नहीं बनाई गई है क्योंकि कार्यालय द्वारा अलग से कोई निर्देश नहीं दिये है अमानत एवं वापिसी कैशबुक में दर्ज है।
9. पद क्रमांक-09 कारण बताओ सूचना पत्र के पद क्रमांक 09 के लेख अमान्य व अस्वीकार है संस्था द्वारा मजदूरी पंजी नहीं बनाई जाती है क्योंकि संस्था के सदस्य सामूहिक रूप से कार्य करते है।
10. पद क्रमांक 10- कारण बताओ सूचना पत्र के पद क्रमांक 10 के लेख अमान्य व अस्वीकार है खर्च के व्हाउचर कैशबुक में लेख किये जाते है जिसको समय-समय पर श्रीमान के कार्यालय द्वारा ऑडिट किया जाता रहा है।
11. पद क्रमांक-11 कारण बताओ सूचना पत्र के पद क्रमांक 11 के लेख अमान्य व अस्वीकार है खर्च पंजी एवं व्हाउचर पंजी अलग से बनाये जाने के कभी निर्देश नहीं दिये गये है श्रीमान के आदेशानुसार अलग से आगे बनाने लगेंगे।
12. पद क्रमांक-12 कारण बताओ सूचना पत्र के पद क्रमांक 12 के लेख अमान्य व अस्वीकार है अभी तक सभी सदस्य आपसी सहमति से बंटवारा कर लेते है इसलिये पंजी नहीं बनाई गई और न ही अलग से बनाये जाने के आदेश दिये गये है। लेकिन श्रीमान के आदेशानुसार अब आगे बनाने लगेंगे।
13. पद क्रमांक-13 कारण बताओ सूचना पत्र के पद क्रमांक 13 के लेख अमान्य व अस्वीकार है अंशपंजी का विवरण अभी तक कैशबुक में है तथा ऑडिटर द्वारा अलग से बनाये जाने के निर्देश नहीं दिये गये है। आगे अंशपंजी बनाने लगेंगे।
14. पद क्रमांक-14 कारण बताओ सूचना पत्र के पद क्रमांक 14 के लेख अमान्य व अस्वीकार है भूमि का बंटन नहीं किया जाता है सदस्यो द्वारा सामूहिक रूप से कृषि कार्य किया जाता है पट्टा भी सामूहिक किया गया था संस्था में कार्य भी सामूहिक रूप से किया जाता है इसलिये बंटवारा पंजी एवं भूमि आबंटन पंजी की आवश्यकता नहीं है इसलिये नहीं बनाई गई है।  
संस्था द्वारा दिये गये जबाब में कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/परिसमापन/2021/1365 को निरस्त करने एवं संस्था को परिसमापन में न लाये जाने हेतु निवेदन किया है।

उपरोक्त कारण बताओ सूचना पत्र एवं सामूहिक कृषि सहकारी समिति के अध्यक्ष श्री हरिकिशन रैकवार द्वारा दिये लिखित कथन व एवं संस्था के मूल अभिलेखो का परीक्षण करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई।

संस्था को शासन द्वारा 525 एकड़ एवं 08 डिसमिल भूमि का पट्टा तहसीलदार के हस्ताक्षर से मिला था संस्था ने भू-अधिकार पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की जबकि संस्था उपविधि के नियम 26 (घ) (1) में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि पूरा क्षेत्र एक इकाई के रूप में जोता जाये और काम का बंटवारा समस्त सदस्य में व्यक्तिगत रूप से कर दिया जाये।

संस्था द्वारा कोई सदस्यता सूची संधारित नहीं की है मात्र 154 सदस्यो की सूची प्रस्तुत की गई है। अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया गया कि 2011 से 2016 तक का-रिकॉर्ड उनके पास नहीं है उक्त रिकॉर्ड अप्राप्त रहने से 2011 से वर्तमान तक संस्था सदस्यो का सत्यापन नहीं किया गया कितने सदस्य जोड़े गये। साथ ही सदस्य जोड़ने एवं घटाने की प्रक्रिया विधिवत की गई है या नहीं।

संस्था के निम्नलिखित रिकॉर्ड संधारित नहीं किये गये है।

1. संस्था की विधिवत संधारित सदस्यता पंजी।
2. आमसभा पंजी।
3. अमानत प्राप्त एवं वापिसी पंजी।
4. मजदूरी पंजी
5. विधिवत खर्च पंजी एवं व्हाउचर पंजी।
6. फसल विक्रय एवं फसल बंटवारा पंजी।
7. अंशपूजी पंजी।
8. सदस्यो को कार्य बंटवारा पंजी। (भूमि आबंटन पंजी)

इससे स्पष्ट है कि उपविधि के नियम 28 का उल्लंघन किया गया संस्था के सचिव/प्रबंधक श्री दलपत प्रसाद रैकवार सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्यादित दांतगोरा के अतिरिक्त सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्यादित ददगांय के भी सदस्य है एवं दोनो समिति के सचिव/ प्रबंधक भी है जो निम्नानुसार गलत है इनकी उम्र 81 वर्ष है कोई भी सदस्य कर्मचारी शासन के नियमानुसार 62 वर्ष की उम्र तक ही सेवा कर सकता है।

स्पष्ट है प्रबंधक अवैधानिक रूप से कार्य कर रहे है संस्था द्वारा आज दिनांक तक कार्यालय सहायक आयुक्त (अंके0) सहकारी संस्थाएँ टीकमगढ़ को संस्था में विगत 05 वर्षों से किसी अंकेक्षण टीप का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नही किया है।

संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य में रुचि न लेना ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अत मैं एस0पी0 कौशिक उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला टीकमगढ़ म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-1- 99-पन्द्रह-1-सी दिनांक 26.07.99 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए उक्त कारणों के आधार पर सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्यादित दांतगोरा तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ को परिसमापन में लाता हूँ तथा म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अंतर्गत श्री मनोज कुमार मनकेले सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश दिनांक 16.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन/पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-569)

एस. पी. कौशिक, उप पंजीयक

कार्यालय, परिसमापक, सामूहिक कृषि सह. समिति मर्या. ददगांय, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश

टीकमगढ़, दिनांक 9 मार्च 2022

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 की के नियम 57(ग) के अंतर्गत]

क्रमांक/परि.2021/1851-ए- पंजीयक सहकारी संस्थाये जिला टीकमगढ़ के द्वारा म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक के नियुक्त किया गया है -

क्र	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक आदेश क्र / दिनांक
1.	सामूहिक कृषि सह0 समिति मर्या ददगांय	244 / 16.7.64	1851ए/ 17.12.2021

अतः म0प्र0 सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 67(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह की अवधि में प्रमाण सहित मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकेंगे। प्रति की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के वटवारे वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे, यदि दो माह के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो उसके पश्चात समस्त दावे अमान्य रहेंगे एवं संस्था कि लेख पुस्तिकों लेख वद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत माने जायेंगे उक्त सूचना के पश्चात किसी सदस्य द्वारा सर्म्पक नहीं किया गया तो आगमी कार्यवाही की जावेगी, दस्तावेजों के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय के रिकार्ड के आधार पर अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 मार्च 2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

मधुर मिश्रा, सहकारी निरीक्षक.

(G-570)

कार्यालय, परिसमापक, सामूहिक कृषि सह. समिति मर्या. रमसंगरा, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश

टीकमगढ़, दिनांक 9 मार्च 2022

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अंतर्गत]

क्रमांक/परि.2021/1854- पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला टीकमगढ़ के द्वारा म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक के नियुक्त किया गया है -

क्र	संस्था का नाम	परिसमापक आदेश क्र / दिनांक
1.	सामूहिक कृषि सह0 समिति मर्या ददगांय	1854 / 17.12.2021

अतः म0प्र0 सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 67(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह की अवधि में प्रमाण सहित मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकेंगे। प्रति की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के वटवारे वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे, यदि दो माह के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो उसके पश्चात समस्त दावे अमान्य रहेंगे एवं संस्था कि लेख पुस्तिकों लेख वद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत माने जायेंगे उक्त सूचना के पश्चात किसी सदस्य द्वारा सर्म्पक नहीं किया गया तो आगमी कार्यवाही की जावेगी, दस्तावेजों के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय के रिकार्ड के आधार पर अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 मार्च 2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

आर. के श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक.

(G-571)

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 मार्च 2022—चैत्र 4, शक 1944

## भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)